श्रीश्री१००८ आचार्य्य श्रीमज्जिन यशः सूरिजी महाराज।

ॐ नमः परमात्मने ।

श्रीपर्युषणमीमांसा गर्भित

हर्षहृदय दर्पणास्य

द्वितीय भागः ।

अर्हं नत्वा जिनं पार्श्वं, पार्श्वयक्ष विभूषितम् ।
श्रेष्ठ वाणीप्रदां वाणीं, स्मरामि हृदये निजे ॥ १ ॥

अर्थ—श्री पार्श्व नामक यक्ष से विभूषित और इन्द्रादि देवताओं के पूज्य श्रीपार्श्वप्रभु तीर्थंकर को नमस्कार करके उत्तम वाणी प्रदान करनेवाली सरस्वती देवी को अपने हृदय में स्मरण करता हूँ ॥ १ ॥

श्री मोहन चरित्रेथ गच्छ निन्दादि मुद्रितम् ।
समीक्षां तस्य कुर्वेहं शास्त्रपाठ प्रमाणतः ॥ २ ॥

अर्थ—उत्तरार्द्ध श्रीमोहनचरित्र में हर्षमुनि जी ने गच्छ सम्बन्धी अनेक प्रकार की आक्षेप रचना से अर्थतः अपनी झूठी प्रशंसा और दूसरे की व्यर्थ निंदा रमापति पंडित द्वारा लिखवाई है, उसकी समीक्षा शास्त्रप्रमाण द्वारा मैं करता हूँ ॥ २ ॥

देखिये उत्तरार्द्ध श्रीमोहनचरित्र के पृष्ठ ४११ में लिखा है कि—

गच्छदुराग्रह रहितं सहितं सत्पक्षपातेन ।
महितं जनता मनुते तं यान्धा नैव रागेण ॥ ४० ॥

अर्थ—जो लोग एक दूसरे के पक्षपात राग से अन्ध नहीं हैं वे लोग गच्छ दुराग्रह रहित और सत्पक्षपात सहित मनुष्यों को मान्य उसीको मानते हैं, पं० रमापति जी ! आपकी रचना से सिद्ध होता है कि हर्षमुनि जी महाराज ने उपर्युक्त श्लोक द्वारा मध्यस्थ भाव से जो अपनी मंतव्यता उपदेश द्वारा सज्जनों को बतलाई है सो तो उचित है परन्तु हर्षमुनि जी का यह उपदेश दीपक की तरह पर प्रकाश मात्र है याने दीपक पर को प्रकाश करता है किंतु उसके नीचे अँधेरा रहता है, इसी तरह देखिये यदि महात्मा हर्षमुनि जी की तपगच्छीय भक्तों में पक्षपात पूर्वक रागान्धता नहीं होती और तपगच्छ संबंधी दुराग्रह न होता तो सत्पक्षपात सहित अपने महान् पूर्वाचार्यों को पूज्य मान कर उनकी ५० दिने पर्युषणा आदि शुद्ध समाचारी कराने के लिये गुरुवर्य श्री मोहनलाल जी महाराज ने हर्षमुनि जी आदि शिष्य प्रशिष्यों को जो आज्ञा दी थी उसको सहर्ष स्वीकार करते तभी उनकी गच्छनिराग्रहता तथा सत्पक्षपातसहितता और रागांध रहितता सिद्ध होती अन्यथा नहीं।

[प्रश्न] श्रीमोहनलाल जी महाराज का स्वर्गवास होने के अनंतर हर्षमुनि जी ने उत्तरार्द्ध श्रीमोहनचरित्र के पृष्ठ ४१६ .. ४२० में छपवाया है कि—

[illegible] अनंतर [illegible] स्तान्सर्वानिवापृच्छ
कस्को कां कां समाचारीं संप्रतिकरोती [illegible]
पन्यास श्रीयशोमुनि कमलमुनिभ्यां [illegible]
सैत्रोपरोधात्संप्रति खरतरगच्छीयां सभा [illegible]
इतिव्याजहू ॥

अर्थ—अब ऐसे उपदेश देने के अनंतर श्री मोहनलाल जी महाराज ने अपने पास आये हुए सब शिष्यों को पूछा कि इस समय में कौन कौन शिष्य किस किस गच्छ की समाचारी करता है—पन्यास श्रीयशोमुनि जी तथा कमलमुनि जी ने कहा कि—हम क्षेत्र के अनुरोध से खरतरगच्छ की समाचारी करते हैं, तो यह उक्त लेख हर्षमुनि जी ने सत्य छपवाया है कि मिथ्या ?

[उत्तर] हर्षमुनि जी ने यह उपर्युक्त लेख अपने मनः कल्पना से असत्य छपवाया है क्योंकि श्रीमोहनलाल जी महाराज ने अपने पास आये हुए १७ शिष्य प्रशिष्यों को यह उपदेश दिया था कि—मेरी आज्ञा से पन्यास यशोमुनि आदि खरतर-गच्छ की समाचारी करते हैं मैंने हर्षमुनि आदि को खरतरगच्छ की समाचारी करने के लिये दो तीन बेर बहुत कहा तथापि मेरी आज्ञा स्वीकार नहीं की अतएव सबके समक्ष तुम लोगों से यह कहता हूँ कि मेरी आज्ञा पालन करने के लिये तुम लोग ५० दिने पर्युषण आदि शास्त्रसम्मत खरतरगच्छ की शुद्ध समाचारी करना कबूल करो इत्यादि उपदेश देने पर जिन शिष्य प्रशिष्यों ने श्रीगुरु महाराज की उक्त आज्ञा का पालन और उत्थापन (उल्लंघन) किया सो हर्षमुनि जी ने उत्तरार्द्ध श्रीमोहन-चरित्र के पृष्ठ ४२० में इस तरह छपवाया है कि—

ऋद्धिमुनिप्रभृतिभिस्त्रिभिर्यशोमुनिमनुकर्तुमि-च्छाम इतिकथितम् ।

अर्थ—ऋद्धिमुनि जी आदि तीन मुनियों ने याने ऋद्धिमुनि जी, रत्नमुनि जी, भावमुनि जी तथा उपर्युक्त कमलमुनि जी और धीमनमुनि जी ने कहा कि हम लोग आपकी आज्ञा

खरतरगच्छ की समाचारी करने के लिये उक्त गुरु महाराज की आज्ञा को उत्थापन (उल्लंघन) किया लीजिये पं० रमापति जी! आप ही के लेख द्वारा स्पष्ट सिद्ध हो गया कि हर्षमुनि जी तपागच्छीय श्रावक समुदाय के पक्षपात से अवश्य ही रागान्ध हैं अतएव खरतरगच्छ सम्बन्धी शुद्ध समाचारी करने के लिये गुरु महाराज की आज्ञा का उत्थापन (उल्लंघन) किया। और भी देखिये कि श्री मोहनलाल जी महाराज ने प्रथम बंबई में हर्षमुनि जी आदि को खरतरगच्छ की समाचारी करने के वास्ते आज्ञा दी उसको प्रमाण नहीं किया। इसीलिये पन्यास श्री यशोमुनि जी को उक्त गुरु महाराज ने पत्र भेजा उसमें लिखा कि खरतरगच्छ में अपने यहाँ कोई समाचारी करनेवाला है नहीं सो तुम करो तो अच्छा है हम राजी हैं हमारी खुशी से आज्ञा लिखी है इत्यादि, इस पत्र संबंधी (फोटो) ब्लोक पत्र यह है।

इस पत्र को बाँचकर बुद्धिमान स्वयं समझ सकते हैं कि महात्मा श्री मोहनलाल जी के अंतःकरण में श्रद्धा खरतरगच्छ समाचारी की थी इसीलिये पन्यास श्री यशोमुनि जी आदि ने अपने गुरु महाराज की पत्र आज्ञा को स्वीकार करके शास्त्रसम्मत खरतरगच्छ की समाचारी अंगीकार की है और गुरु महाराज के पास में रहे हुए हर्षमुनि जी आदि शिष्यों ने गुरु श्री मोहनलाल जी महाराज की आज्ञा का उल्लंघन करके उनकी संमति बिना अपनी इच्छानुसार तथा सूरत बंबई आदि क्षेत्रानुरोधमान प्रतिष्ठा शिष्यादि लाभ इत्यादि विचार द्वारा सिद्धांत विरुद्ध ८० दिने पर्युषण आदि तपगच्छ की समाचारी करनी रक्खी है परंतु यह शास्त्र तथा गुरु आज्ञा विरुद्ध समाचारी करनी हर्षमुनि जी आदि को सर्वथा अनुचित है क्योंकि गुरु महाराज की समाचारी का ख्याल न करके उनकी आज्ञा से उनके महान् पूर्वज-गुरु महाराजों की

पालनी स्वीकार करते हैं याने श्री यशोमुनि जी का अनुकरण द्वारा खरतरगच्छ की क्रिया करने की इच्छा रखते हैं।

पन्यास श्री हर्षमुनि कान्तिमुनि देवमुनिभिः शिष्यैरादितोंगीकृतया तपागच्छीय समाचार्या भवन्त मनुकुर्म इत्युदितम् ॥

भावार्थ—पन्यास श्री हर्षमुनि, कान्तिमुनि, देवमुनि शिष्यों ने गुरु महाराज को उत्तर दिया कि हम लोग प्रथम से अंगीकार की हुई तपगच्छ की समाचारी द्वारा आपका अनुकरण करते हैं याने आप हम लोगों को खरतरगच्छ की समाचारी करने के लिये आग्रह करते हैं परन्तु हम लोग आपकी आज्ञा का अनुकरण (पालन) नहीं करेंगे अर्थात् ५० दिने पर्युषण आदि शास्त्र सम्मत खरतरगच्छ की समाचारी नहीं करेंगे किंतु सिद्धांत विरुद्ध ८० दिने या दूसरे भाद्रपद अधिक मास में ८० दिने पर्युषण आदि तपगच्छ की समाचारी करेंगे और ७० दिने प्रथम कार्त्तिक मास में कार्त्तिक चातुर्मासिक प्रतिक्रमण नहीं करेंगे किंतु दूसरे कार्त्तिक अधिक मास में १०० दिने करेंगे इत्यादि तपगच्छ की समाचारी करने का दुराग्रह प्रकाश किया है और करते हैं अस्तु—

कल्याणमुनि पद्ममुनि क्षमामुनि शुभमुनि प्रभृतिभिर्बहुभिर्हर्षमुनिरस्माकं शरण मित्युक्तं ॥

भावार्थ—कल्याणमुनि, पद्ममुनि, क्षमामुनि, शुभमुनि आदि बड़े एक मनियों ने उत्तर में कहा कि हम लोगों को तो हर्षमुनि का ही शरण है याने हर्षमुनि जी की तरह तपगच्छ की समाचारी करेंगे यह उत्तर दिया अतएव इन लोगों ने भी शास्त्रसम्मत

खरतरगच्छ की समाचारी करने के लिये उक्त गुरु महाराज की आज्ञा को उत्थापन (उल्लंघन) किया लीजिये पं० रमापति जी ! आप ही के लेख द्वारा स्पष्ट सिद्ध हो गया कि हर्षमुनि जी तपागच्छीय श्रावक समुदाय के पक्षपात से अवश्य ही रागान्ध हैं अतएव खरतरगच्छ सम्बन्धी शुद्ध समाचारी करने के लिये गुरु महाराज की आज्ञा का उत्थापन (उल्लंघन) किया। और भी देखिये कि श्री मोहनलाल जी महाराज ने प्रथम बंबई में हर्षमुनि जी आदि को खरतरगच्छ की समाचारी करने के वास्ते आज्ञा दी उसको समाप्त नहीं किया। इसीलिये पन्यास श्री यशोमुनि जी को उक्त गुरु महाराज ने पत्र भेजा उसमें लिखा कि खरतरगच्छ में अपने यहाँ कोई समाचारी करनेवाला है नहीं सो तुम करो तो अच्छा है हम राजी हैं हमारी खुसी से आज्ञा लिखी है इत्यादि, उस पत्र संबंधी (फोटो) ब्लोक पत्र यह है।

इस पत्र को बाँचकर बुद्धिमान स्वयं समझ सकते हैं कि महात्मा श्री मोहनलाल जी के अंतःकरण में श्रद्धा खरतरगच्छ समाचारी की थी इसीलिये पन्यास श्री यशोमुनि जी आदि ने अपने गुरु महाराज की पत्र आज्ञा को स्वीकार करके शास्त्रसम्मत खरतरगच्छ की समाचारी अंगीकार की है और गुरु महाराज के पास में रहे हुए हर्षमुनि जी आदि शिष्यों ने गुरु श्री मोहनलाल जी महाराज की आज्ञा का उल्लंघन करके उनकी संमति विना अपनी इच्छानुसार तथा सूरत बंबई आदि क्षेत्रानुरोपमान प्रतिष्ठा शिष्यादि लाभ इत्यादि विचार द्वारा सिद्धांत विरुद्ध ८० दिने पर्युषण आदि तपगच्छ की समाचारी करनी रक्खी है परंतु यह शास्त्र तथा गुरु आज्ञा विरुद्ध समाचारी करनी हर्षमुनि जी आदि को सर्वथा अनुचित है क्योंकि गुरु महाराज की समाचारी का ख्याल न करके उनकी आज्ञा से उनके महान् पूर्वज-गुरु महाराजों की

शास्त्रसंमत ५० दिने पर्युषण आदि शुद्ध समाचारी विनीत शिष्यों को धारण करना सर्वथा उचित है। दृष्टान्त, जैसे महात्मा श्रीबुटेराय जी महाराज के पूर्वजों की समाचारी दोनों कानों में मुखवस्त्रिका धारण करके व्याख्यान देने की थी उसको उक्त महात्मा जी ने केवल पंजाब आदि क्षेत्रों में अपनी प्रतिष्ठा सत्कार आदि न होने के कारण से भद्रीकभाव तथा सरलचित्त की अपेक्षा से उक्त समाचारी को त्याग कर दिया परंतु उनके विनीत शिष्य श्रीनीतिविजयजी आदि ने गुरु महाराज की नूतन आचरणा को कदाग्रह से नहीं ग्रहण किया किन्तु अपने गुरु महाराज के महान् पूर्वजों की शुद्ध समाचारी जो मुखवस्त्रिका बाँध के व्याख्यान देने की थी उसीको धारण किया—

[प्रश्न] इस पुस्तक में श्रीमोहनलाल जी महाराज के दो हस्ताक्षर पत्रों से स्पष्ट मालूम होता है कि—श्री मोहनलाल जी महाराज को अपना खरतरगच्छ में आग्रह था इसीलिये शास्त्रसंमत अपने खरतरगच्छ की समाचारी पन्यास श्री यशोमुनि जी आदि शिष्य प्रशिष्यों को करना पर श्री मोहनलाल जी महाराज ने मेत्र में या अपने मंबाड़ में यह भेद पाड़ा है परंतु इसमें उक्त गुरु महाराज का किंचित् भी दोष नहीं है किन्तु हर्षमुनि जी आदि शिष्यों ने शास्त्रसंमत खरतरगच्छ की समाचारी करने की गुरु आज्ञा को नहीं माना यही गुरुआज्ञा उल्लंघन करने रूप हर्षमुनि जी आदि का महादोष है तथापि हर्षमुनि जी ने श्रीमोहनचारित्र के पृष्ठ ४०४ में छपवाया है कि—

गच्छो ऽयकंमदीयो, यदपिनदयः कथंचिदयमेव ।
इत्यामहवशनीयो, भिन्नविगंधेमनो साधुः ॥ ८१ ॥

अर्थ—आपणो गच्छ छे एने गमे ते रीते पण [illegible]

जोइए एवा आग्रह थी जे संयमां भेद पाडेछे ते साधु नहीं ॥४१॥ इस लेख में "संयमां भेद पाडे छे ते साधु नहीं" यह आक्षेप लेख जो लिखा है सो उचित है या अनुचित ?

[उत्तर] हर्षमुनिजी ने श्रीमोहनचरित्र में यह उपर्युक्त आक्षेप लेख बहुत ही अनुचित छपवाया है क्योंकि श्रीगुरु महाराज की आज्ञा थी इसीलिये शास्त्रसंमत खरतरगच्छ समाचारी करने में गुरु और शिष्य प्रशिष्यों को किंचित् भी दोषापत्ति नहीं आ सकती है, किंतु शास्त्रसंमत गुरु महाराज की आज्ञा जो नहीं माने वही दोष का भागी होता है।

[प्रश्न] हर्षमुनिजी ने प्रथम पायचंदगच्छ में श्रीभाईचंदजी के पास दीक्षा ग्रहण की थी कितनेक दिनों के बाद उस गच्छ को और उन गुरु को त्याग कर विशेष सत्कार के लिये श्रीमोहनलाल जी महाराज के शिष्य बन कर खरतरगच्छ में हर्षमुनि जी आए और कितनेक दिन खरतरगच्छ की समाचारी की थी तथापि हर्षमुनिजी ने श्रीमोहनचरित्र के उक्त पृष्ठ में छपवाया है कि—

एतस्य च परिहारो महरो चैतस्य भाविनी पूजा ।
इतिबुद्ध्यागच्छांतर, मंगीकुरुते स नो साधुः ॥४२॥

अर्थ—आगच्छनो हुं त्याग करूं अने बीजा गच्छनो स्वीकार करूं तो मारो सत्कार सारो थशे एम धारी जे बीजा गच्छमां जायछे ते साधु नहि ॥ ४२ ॥ यह लेख उचित छपवाया है कि अनुचित ?

[उत्तर] हमारी समझ मुजिब तो हर्षमुनिजी ने यह उक्त लेख भी बहुत ही अनुचित छपवाया है तथापि हर्षमुनि जी को पूछना चाहिये कि आप पायचंदगच्छ को त्याग कर खरतरगच्छ

में साधु और [illegible] आचार के लिये [illegible] की समाचारी गुरु आज्ञा को लोप करके करते हैं तो आराधक हैं [illegible] से संसार होता है कि शुद्ध साधु हो या नहीं।

[प्रश्न] हर्षमुनिजी ने श्रीमोहनचरित्र के पृ. ४०४ में—गच्छोत्सर्ग महाघो इत्यादि [illegible] मंत्रे न सो साधुः । ४१ । आचारी गच्छ इत्यादि आचार जो जे [illegible] ते साधु नहि ॥ ४१ ॥ गच्छांतर संक्रमणे न सो साधुः ॥ ४२ ॥ मारो गच्छ मारो धर्म एम धारी जे बीजा गच्छनो आचरे ते साधु नहि। यह मतलब अनुचित निंदा छपवा कर फिर नीचे उसी पृ. में छपवाया है कि—

परकीयगच्छकुत्सा, करणेनात्मीयगच्छपरिपुष्टिः ।
श्रद्धाश्रयेऽत्रतेषां, मय्यनुरक्तिर्भवेत्सदाम्थाम्नी ४३॥
इत्यांतर कौटिल्या, दभिभृतो निरयमेयको भवति ।
पूज्योऽपि दुर्जनानां, निंद्यः सज्ज्ञानगोष्ठीषु ॥ ४४ ॥

अर्थ—बीजाना गच्छनी निंदाकरवाथी मारा गच्छनी पुष्टि थशे अने आगच्छना श्रावकोना पण मारा उपर स्थिर प्रेम थशे एवी अंतःकरणनी कुटिलता वालो नरकने सेवनारथाय छे अर्थात् नरकमां जायछे अने जो के दुर्जनो तेने पुजे छे तो पण मनुष्योनी ज्ञानगोष्टीमां तो ते निंदाने पात्र थायछे—४३। ४४।
हर्षमुनिजी ने अपना यह उक्त मंतव्य उचित छपवाया है कि अनुचित ?

[उत्तर] अनुचित, क्योंकि श्रीमोहनलाल जी महाराज ने अपने हस्ताक्षर के प्रथम पत्र तथा दूसरे पत्र में सिद्धांतसंमत स्वखरतरगच्छ समाचारी मंतव्य में अपना पक्षपात दिखला कर ८० दिने सिद्धांत-विरुद्ध तपगच्छ की पर्युषणा समाचारी और तिथि

मंतव्य में पक्षपात नहीं है यह उचित मंतव्य लिख बतलाया है और हर्षमुनि जी ने तो श्रीगुरु महाराज की आज्ञा से शास्त्रानुकूल समाचारी करने कराने वालों को साधु नहिं इत्यादि झूठी निंदा और शास्त्र तथा गुरु आज्ञा प्रतिकूल समाचारी करने वालों को दोष लागतो नथी इत्यादि असत्य प्रशंसा और इस प्रकार की निंदादि अंतःकरण की कुटिलता से नरक के सेवक और भक्तों को दुर्जन तथा आप निंदा के पात्र यह सर्व अनुचित मंतव्य छपवाया है। अस्तु, परंतु स्वपरहित के लिये शास्त्र पाठों के अनुसार तथा श्रीगुरु महाराज के पत्रों के अनुसार सत्यासत्य मंतव्य दिखलाने वालों को निंदा आदि दोषापत्ति नहीं आ सकती है किंतु शास्त्रसंमत स्वगच्छ समाचारी श्री गुरु महाराज की आज्ञा से नहीं करें वाले श्री गुरु महाराज की आज्ञा (वचन) को लोपे वह दोष का भागी होता है—प्रमाण भीमसिंह माणक ने छपाये हुए तीसरे भाग में यथा—

छट्ठट्ठम दसम दुवालसेहिं, मासद्धमासखमणेहिं ॥
अकरंतो गुरुवयणं, अणंत संसारिओ भणिओ ॥ १ ॥

अर्थ—छट्ठ अट्ठम दसम द्वादशम मास अर्द्धमास खमण करके उग्र तपस्या शिष्य करता है परंतु श्री गुरु महाराज के वचन (आज्ञा) को नहीं करें वाले गुरु की आज्ञा लोपे वह अनंत संसारी होता है इसीलिये श्रीगुरु महाराज की आज्ञा तथा शास्त्र की आज्ञा के अनुसार स्वगच्छ समाचारी करने कराने और करते वाले गुरु शिष्य प्रशिष्यादि को कुछ भी दोषापत्ति नहीं आती है तथापि हर्षमुनि जी ने श्रीमोहनचरित्र के प्रथ. पृष्ठ में द्वेषभाव के आवेश निंदा के आक्षेप वचन को छपवाये हैं सो अनुचित है।

[प्रश्न] श्रीमोहनचरित्र के पृष्ठ ४१४ में हर्षमुनि जी ने छपवाया है कि—

"गच्छांतरमप्यंगी कुर्वन्नो लिप्यतेदोपैः ॥४५॥

अन्य गच्छनी समाचारी [याने १३ त्रयोदशी तिथि में पाक्षिक या चातुर्मासिक प्रतिक्रमण और ८० दिने वा दूसरे भाद्रव अधिक मास में ८० दिने पर्युषण पर्व इत्यादि तपगच्छ की समाचारी] अंगीकार करवी पड़े परंतु जे मध्यस्थ रहे अर्थात पक्षपात करे नहीं तो तेने दोष लागतो नथी । ४५ । यह कथन सत्य लिखा है कि असत्य ?

[उत्तर] दोष लागतो नथी यह कथन सिद्धांत विरुद्ध पक्षपात के कदाग्रह से असत्य लिखा है क्योंकि हर्षमुनि जी ने [गच्छांतर मंगीकुरुते म नो साधुः । ४२ ।] इस वाक्य से साधु नहीं यह प्रथम ही बड़ा दोष लिख दिखलाया है और [पक्षपात करे नहीं तो तेने दोष लागतो नथी] इस वाक्य से हर्षमुनि जी आदि पक्षपात करे तो दोष अवश्य लगे यह बात भी सिद्ध होती है—अब देखिये कि—हर्षमुनि जी आदि को सिद्धांत विरुद्ध ८० दिने पर्युषण आदि तपगच्छ की समाचारी करने में किसी प्रकार से पक्षपात नहीं होता तो सिद्धांत संमत ५० दिने पर्युषण आदि खरतरगच्छ की समाचारी अंगीकार करने में गुरु श्री मोहनलाल जी महाराज की आज्ञा का भंग या लोप नहीं करते इसी लिये श्री गुरु आज्ञा तथा शास्त्र आज्ञा के प्रतिकूल ८० दिने पर्युषण आदि तपगच्छ की समाचारी के पक्षपात से हर्षमुनि जी आदि दोष के भागी अवश्य होते हैं वास्ते उस पक्षपात को त्याग कर शास्त्र संमत खरतरगच्छ की समाचारी अंगीकार करना उचित है क्योंकि—

वासाणं सवीसइ राय मासे वइक्कंते वासा-
वासं पज्जोसवेमो अंतरावियसे कप्पइ नो से
कप्पइ तं रयणिं उवायणावित्तए ।

इत्यादि जैन सिद्धांतों के पाठानुसार आषाढ़ सुदि
१४ या १५ को चातुर्मासिक प्रतिक्रमण करने के बाद
वर्षा काल के २० रात्रि सहित १ मास अर्थात् ५० दिन बीतने
पर वर्षा वास के श्रीपर्युषण पर्व श्री पूर्वाचार्य महाराज करते
थे और ५० दिन के अंदर भी पर्युषण करने कल्पते हैं किंतु
५० में दिन की रात्रि को पर्युषण किये बिना उल्लंघनी कल्पती
नहीं है इसी लिये इस शास्त्र आज्ञा का भंग नहीं करने के वास्ते
श्रीकालकाचार्य महाराज ने मध्यस्थ भाव से और शालिवाहन
राजा के कहने से ५१ दिने या ८० दिने सिद्धांत विरुद्ध पर्युषण
नहीं किये किंतु ४९ दिने किये हैं और भी देखिये कि मास
वृद्धि नहीं होने से चंद्रवर्ष संबंधी ५० दिने पर्युषण और ७०
दिन शेष रहने का समवायांग सूत्र पाठ के साथ तथा पुस्तक
पर कल्पसूत्रादि आगम उद्धार करने श्री देवर्द्धि गणि क्षमाश्रमण
जी महाराज ने उपर्युक्त श्री पर्युषण कल्पसूत्र के पाठ में जो से
कप्पइ इत्यादि वचनों से तथा टीकाकारों ने स कल्पते इस वचन
से और अभिवर्द्धितवर्षे इत्यादि पंचाशतैवदिनैः पर्युषणा युक्ते-
तिवृद्धाः । इन वाक्यों से अभिवर्द्धित वर्ष में ५० दिने भी
पर्युषणा पर्व करने युक्त है ऐसा भी वृद्ध पूर्वाचार्य महाराजों के
वचन हैं और ५० में दिन की पंचमी या चौथ की रात्रि को
सांवत्सरिक प्रतिक्रमणादि श्री पर्युषण कृत्य किये बिना उल्लंघनी
कल्पती नहीं है यह साफ लिखा है वास्ते शास्त्र आज्ञा भंग
दोष के कारण ११ तिथि में पाक्षिक या चातुर्मासिक प्रतिक्रमण

तथा ८० दिने या दूसरे भाद्रपद अधिक मास में ८० दिने उक्त सिद्धांत पाठ विरुद्ध पर्युषणा पर्व और १०० दिने दूसरे कार्त्तिक अधिक मास में कार्त्तिक चातुर्मासिक प्रतिक्रमण इत्यादि तपगच्छ की समाचारी का श्रीमोहनलाल जी महाराज को पक्षपात नहीं था। इसी लिये उन महात्मा ने पन्यास श्रीयशोमुनि जी आदि शिष्यप्रशिष्यादि को शास्त्र संमत ५० दिने पर्युषण आदि खरतरगच्छ की समाचारी करादी और हर्षमुनि जी आदि को भी खरतरगच्छ की समाचारी करने की आज्ञा दी परंतु उपर्युक्त तपगच्छ की समाचारी के पक्षपात कदाग्रह से हर्षमुनि जी आदि शिष्य प्रशिष्यों ने खरतरगच्छ की समाचारी करने संबंधी श्रीगुरु महाराज के वचन नहीं अंगीकार किये अतएव श्रीगुरु महाराज की आज्ञा भंग दोष के भागी तथा उपर्युक्त शास्त्र पाठों की आज्ञा भंग दोष के भागी हर्षमुनि जी आदि हैं, यदि शास्त्रसंमत इस सत्य कथन में अप्रतीति हो तो आगमपाठों से तपगच्छ की उपर्युक्त समाचारी सत्य बतलावें अन्यथा श्रीमोहनचरित्र में आगे पृष्ठ ४१५ से ४१९ तक हर्ष मुनि जी ने तपगच्छ की समाचारी करने में अपना मान प्रतिष्ठादि स्वार्थ कदाग्रह को छुपाने के लिये पंडित रमापति की रचना द्वारा विचारांध की भाँति छपवाया है कि "संघ में नाना भेद जो देखा जाता है वह स्वार्थकदाग्रही लोगों का बनाया है १" तथा तीर्थंकरों के शरीर तुल्य संघ में भेद पाड़ो जैन किस तरह हो २" और "संघ में भेद गधे के सिंग समान हैं ३" इत्यादि पूर्वापर उचित अनुचित छपवाकर अपना आध्यात्मिक पणा जो दिखलाया है इससे कौन बुद्धिमान् हर्षमुनि जी आदि को तपगच्छ की समाचारी करने से सत्कार मान प्रतिष्ठादि स्वार्थ कदाग्रह भेदरहित कहेगा ? क्योंकि सत्कार मान प्रतिष्ठादि स्वार्थ कदाग्रह हर्षमुनिजी आदि के अंतःकरण में ना

होता तो गुरु श्रीमोहनलाल जी महाराज की शास्त्र संमत ५० दिने पर्युषण आदि खरतरगच्छ की समाचारी करने संबंधी आज्ञा का उल्लंघन कदापि नहीं करते किंतु श्रीतीर्थंकर गणधर पूर्वाचार्य महाराज प्रणीत सूत्र निर्युक्ति चूर्णि भाष्य टीकादि शास्त्र संमत ५० दिने पर्युषण आदि खरतरगच्छ की समाचारी करने की उक्त गुरु महाराज की आज्ञा को अंगीकार करते और गुरु महाराज के नाम से चरित्र में उक्त अनुचित उपदेश भी नहीं छपवाते क्या लोगों को मालूम नहीं थी कि श्रीमोहनलाल जी महाराज ने अपने खरतरगच्छ की समाचारी आज्ञानुवर्ति पन्यास श्री यशोमुनि जी आदि शिष्य प्रशिष्यों को करवाई है, यह तो सभी को मालूम होगई थी तो गुरु की आज्ञा से विरुद्ध हर्षमुनि जी ने बाल जीवों को भरमाने के लिये क्यों छपवाया कि—यह मेरा गच्छ है इसको बदलना ऐसे आग्रह से जो संघ में भेद पाड़े वो साधु नहीं इत्यादि स्वकपोल कल्पित महा-मिथ्या लेख से क्या लाभ उठाया ? कुछ भी नहीं।

[प्रश्न] लोकों को हर्षमुनिजी आदि कहते हैं कि—चंद्रवर्ष में मास वृद्धि नहीं होती है इसी लिये कार्तिक पूर्णिमा पर्यंत ७० दिन शेष रहते ५० दिने पर्युषण करते हैं और ५० दिन के अंदर भी पर्युषण करने कल्पते हैं किंतु ५०वें दिन की रात्रि को पर्युषण किये बिना उल्लंघनी कल्पती नहीं है इस आज्ञानुसार आषाढ़ चतुर्मासी से ८० दिने वा दूसरे भाद्रव अधिक मास में ८० दिने पर्युषण करने युक्त नहीं है किंतु ५० दिने प्रथम भाद्र शुदि ४ को वा ५० दिने दूसरे श्रावण शुदि ४ को पर्युषण करने संगत है और तपगच्छ के साधु ५० दिने दूसरे श्रावण में अंचल तथा खरतरगच्छ वाले वगैरह पर्युषण करते हैं तथापि इस विषय में तपगच्छीय श्री [illegible] के

मंदसौर के वल्लभविजय जी ने भाद्रपद [illegible] [illegible]
सिद्धांत विरुद्ध महामिथ्या अनुचित लेख जैनपत्र में छपाया
था तथा श्रीवल्लभविजय जी महाराज ने श्रावण भाद्रपद [illegible]
मास में ५१ वा ८० दिने पर्युषण नहीं किये किंतु ५० दिने
पर्युषण किये हैं यह शास्त्रों और लोक में प्रसिद्ध है
तब भी श्री मोहनलाल जी महाराज का [illegible] द्वारा ८० दिने
पर्युषण आदि तपगच्छ की समाचारी का सत्य सिद्ध करने के
लिये वल्लभविजय ने जैनपत्र में छपवा कर लेख प्रसिद्ध किया
था उसका उत्तर तुमने क्या छपवाया सो दिखलाइये।

[उत्तर] श्री मोहनलाल जी महाराज ने ही अपने स्वहस्ताक्षर पत्र में खरतरगच्छ तथा तपगच्छ की पर्युषण आदि समाचारी विषे जो उत्तर लिखा है उस पत्रका। फोटो। ब्लाक पत्र यह दीया है पढ़ लीजिये।

इस ब्लोकपत्र से साफ मालूम होती है कि श्री मोहनलाल जी महाराज को शास्त्र संमत ५० दिने पर्युषण आदि खरतरगच्छ की समाचारी में सत्यपक्षपात था किंतु सिद्धांत पाठ विरुद्ध ८० दिने पर्युषण आदि तपगच्छ की भ्रमसमाचारी में पक्षपात नहीं था इससे ८० दिने पर्युषण आदि तपगच्छ की समाचारी सत्य सिद्ध नहीं हो सकती है इसी लिये प्रथम भाद्रपद में वा दूसरे श्रावण में याने ५० दिने पर्युषण करनेवालों को आज्ञाभंग दोषलागे इत्यादि वल्लभविजय जी के उत्सूत्र लेखों की मीमांसा शास्त्रीय पाठ प्रमाणों से करता हूँ और आशा है कि—वल्लभविजयजी आदि तथा हर्षमुनि जी आदि और अन्य पाठकगण सदा शास्त्रानुकूल सत्य पक्ष को अंगीकार करके कदाग्रह पक्ष को त्याग देंगें।

ले मंबई ११५

लिखाल्लि मोहन पन्यास जसमुनिसो ।ग
जसें ऽनुवांदं । ऽत्र तत्रस्तं पत्र तुमारा आया
कातिसुद ३तीजा शनिवार के दिन अनुराधा
नक्षत्र है सो उस दिन से खरतरगछ
गछ का करणा इहां वेर वेर कागद
भेजणे का काम नहीं है अर ऽलितो
मारवाड़ में हि विचरणा ठीक है न
गुजरात में क्या है कदमें जाणा होय
तो तेरा खुसी ऽत्रनायक का यहीज
सो लिखना हमारा सरीरग नितो ठीक
है जादा सत्नं सं।१९६३ मि।का।व।७
अर तुम से कोइ कहेगा के तुमारा गुरु तपगछ
की समाचारी करे हे तो कहेना के ऽधा खर
तरगछ का है दादाजी कुं मानते है गुजरात
मे कोइ खरतर कोतपा नहीं कहे है
सब खरतरगछ कहते है उनका जीवन चरी
त्र की पोथी है उसमे तपा ऐसा नाम बनही
है कारणके गुजरात देश में रहणा हुवा
अर येहीं संघ की नकुलता से शारल्नवीत
सें मजुसणा वा तिथ उसी दिन करने
लागये है उसका पक्षपात है नहीं

॥ ॐ ॥

॥ श्रीपर्युषणा मीमांसा ॥

इष्टसिद्धिप्रदं पार्श्वं ध्यात्वा देवीं सरस्वतीम् ।
श्रीपर्युषणा मीमांसा क्रियते सद्धिया मया ॥ १ ॥

अर्थ—इष्टसिद्धि को देनेवाले श्रीपार्श्व तीर्थंकर का और श्रीसरस्वती देवी का ध्यान करके समीचीन बुद्धि याने निष्पक्ष भाव से श्रीपर्युषणा पर्व की मीमांसा करता हूँ ॥ १ ॥

पक्षपातो न मे गच्छे न द्वेषो वल्लभादिषु ।
किन्तु बालोपकाराय शास्त्रवाक्यम्प्रदर्श्यते ॥ २ ॥

अर्थ—विचारवान् सज्जन वृन्द ! इस ग्रंथ की रचना से गच्छ संबंधी मेरा किसी प्रकार का पक्षपात नहीं है और श्रीवल्लभ विजयजी आदि में द्वेषभाव भी नहीं है किन्तु उक्त महात्मा ने अभिवर्द्धित वर्ष में शास्त्रसंमत ५० दिने पर्युषणा पर्व करनेवालों के प्रति आज्ञाभंग दोष आरोप करके पश्चात् जो कटु वाक्य जैनपत्र में प्रकाशित किये हैं उसका यथार्थ उत्तर रूप सर्वसंमत शास्त्र-वाक्यों को बालजीवों के उपकारार्थ बताता हूँ ॥ २ ॥

यथा सूत्रकृदंगादौ उत्सूत्र मत खंडनम् ।
तथाऽत्रापि यदुत्सूत्रं खंड्यते तन्न दोषकृत् ॥ ३ ॥

अर्थ—जैसे श्रीसूयगडांग सूत्रादि ग्रंथों में अर्द्धावय विरुद्ध उत्सूत्र मत का खंडन स्वपरोपकार के लिये श्रीगणधरादि महाराजों ने किया है उसी तरह इस ग्रंथ में महात्मा श्रीवल्लभविजय जी का उपर्युक्त शास्त्रविरुद्ध उत्सूत्र कथन का आगम पाठ प्रमाणों से सूत्रादि पाठ रचि सम्यग् दृष्टि जीवों के उपकारार्थ खंडन करता हूँ अतएव पाठकगण दोषावह न समझें ॥ ३ ॥

अतः श्रीजिनवाक्येषु वः श्रद्धा चेद्यदिस्फुटा।
गच्छे कदाग्रहं त्यक्त्वा गृह्यतां भगवद्वचः ॥ ४ ॥

अर्थ—इस लिये आप लोगों की यदि श्रीजिनेश्वर महाराज के वचनों में स्फुट श्रद्धा हो तो गच्छ संबंधी सिद्धान्त विरुद्ध कदाग्रह को त्याग कर युक्ति युक्त श्री आगमोक्त भगवद्वचन को ग्रहण कीजिये ॥ ४ ॥

॥ तथाचोक्तं श्रीहरिभद्रसूरिभिः ॥

पक्षपातो न मे वीरे नद्वेषः कपिलादिषु ।
युक्ति मद्वचनं यस्य तस्य कार्यः परिग्रहः ॥ ५ ॥

अर्थ—श्रीवीरप्रभु में मेरा पक्षपात नहीं है और कपिलादिकों में द्वेषभाव भी नहीं है किंतु जिसका वचन शास्त्रयुक्ति से संमत हो उसी का वचन ग्रहण करना उचित है ॥ ५ ॥

पाठकवर्ग ! जैनपत्र में प्रथम श्री वल्लभविजयजी का लेख इस आशय वाला था कि—बीजा श्रावण माममां सुदी चौथे ५० दिने पर्युषण पर्व थायज नहीं—आज्ञाभंग दोष लागे ॥ (अर्थात गुजराती बीजा श्रावण माममां ७३ दिने बदी १२ थी पर्युषण पर्वथाय आज्ञाभंग दोष लागे नहीं) इस झूठे मंतव्य के उत्तर में श्री वल्लभविजयजी को पत्र में लिख कर भेजे हुए शास्त्रों के ३ प्रमाण यथा—

श्रीवृहत्कल्पसूत्र चूर्णिका पाठ ।

आसाढ़चउम्मासे पड़िकन्ते पंचेहिं पंचेहिं दिवसेहिं गएहिं जत्थ जत्थ वासजोगं खेत्तं पड़िपुन्नं तत्थ तत्थ पज्जोसवेयव्वं जाव सवीसइराइ मासो ॥ १ ॥

अर्थ—आषाढ़ चातुर्मासिक प्रतिक्रमण किये बाद पाँच पाँच दिन व्यतीत करते जहाँ वर्षावास के योग्य क्षेत्र प्राप्त हो वहाँ पर्युषण करे यावत् एकमास और वीसदिने याने ५० दिने पर्युषण पर्व अवश्य करे ॥

श्रीपर्युषणकल्पसूत्र का पाठ ।

वासाणं सवीसइराए मासे विइक्कंते वासावासं पज्जोसवेमो अंतराविय से कप्पइ नो से कप्पइ तं रयणीं उवायणावित्तए ॥ २ ॥

अर्थ—आषाढ़चतुर्मासी से २० रात्रि सहित १ मास अर्थात् ५० दिन व्यतीत होने पर वर्षावास के निमित्त पर्युषण पर्व हम करते हैं और ५० दिन के भीतर भी पर्युषण पर्व करने कल्पते हैं परंतु पर्युषण पर्व किये विना ५० वें दिन की रात्रि को उल्लंघन करना नहीं कल्पता है । वास्ते श्रावणमास की वृद्धि होने से भाद्रपद में ८० दिने अथवा भाद्रपद मास की वृद्धि होने से अधिक दूसरे भाद्रपद में ८० दिने पर्युषण होय नहीं आज्ञाभंग दोष अवश्य लगे इस में फरक नहीं ।

श्रीजिनपतिसूरिजीकृत समाचारी का पाठ ।

सावणे भद्दवए वा अहिगमासे चाउमासीओ पणासइमे दिणे पज्जोसवणा कायव्वा न कसीमे ॥३॥

अर्थ—श्रावण वा भाद्रपद मास अधिक होने पर आषाढ़ चातुर्मासी से ५० दिने पर्युषण पर्व करना ८० दिने नहीं ।

श्रीवल्लभविजयजी का जैनपत्र में छपा हुआ लेख यथा तत्तत्
होओ होशियार !! .करो विचार ! निकलो बाहर

मुनिवल्लभविजय-पालणपुर, इसमें शक नहीं कि अंग्रेज सरकार के *राज्य में कला कौशल्य की अधिकता* हो चुकी है, हो रही है और होती रहेगी। परंतु गाम वसे वहाँ भंगी चमारादि अवश्य होते हैं तद्वत् अच्छी अच्छी बातों की होशियारी के साथ में बुरी बुरी बातों की होशियारी भी आगे ही आगे बढ़ती हुई नज़र आती है। इत्यादि अपनी होशियारी के निःसार दो लेख लिखे उसमें उत्तर लेख, बुद्धिसागरजी ! याद रखना वो प्रमाण माना जावेगा जो कि तुम्हारे गच्छ के आचार्यों से पहिले का होगा मगर तुमारे ही गच्छ के आचार्य का लेख प्रमाण न किया जावेगा जैसा कि तुमने श्रीजिनपति सूरिजी की समाचारी का पाठ लिखा है कि दो श्रावण होवे तो पिछले श्रावण मे ५० दिने और दो भाद्रपद होवे तो पहिले भाद्रपद में ५० दिने पर्युपण पर्व साम्वत्सरिक कृत्य करना क्योंकि यही तो विवादास्पद है कि श्रीजिनपतिसूरिजी ने समाचारी में जो यह पूर्वोक्त हुकुम जारी किया है कौन से सूत्र के कौनसी दफा के अनुसार किया है। हाँ यदि ऐसा खुलासा पाठ पंचांगी में आप कहीं भी दिखा देवें कि दो श्रावण होवे तो पिछले श्रावण में ५० दिने और दो भाद्रपद होवे तो पहिले भाद्रपद में ५० दिने साम्वत्सरिक प्रतिक्रमण केशलुंचन अष्टमतप चैत्यपरिपाटी और सर्वसंघ के साथ खामणाल्य-पर्युपणा वार्षिक पर्व करना तो हम मानने को तैयार हैं।

प्रिय पाठक गण ! श्रीवल्लभविजयजी ने हमारे भेजे हुए श्री वृहत्कल्पसूत्रचूर्णि के पाठकों और श्रीपर्युषणाकल्पसूत्र संबंधी पाठ को माया से छुपाकर भोले भद्रीक जीवों को भरमाने के लिये उपर्युक्त उत्तर लेख में श्रीजिनपतिसूरिजीमहाराज की समाचारी के पाठ को भी नहीं मानना जो लिखा है सो आपकी

विलक्षण अविचार सीमा का पार नहीं हैं क्योंकि अल्प बुद्धि बालक भी जान सकता है कि उपर्युक्त श्रीबृहत्कल्पसूत्र चूर्णि पाठ और श्रीपर्युषणाकल्पसूत्र पाठ इन दोनों पाठों में श्री पर्युषण पर्व आषाढ़ चतुर्मासी से यावत् ५० दिन की मर्यादा में करने शास्त्रकारों ने प्रतिबद्ध माने हैं यह ५० दिन के भीतर भी श्रीपर्युषण पर्व करना कल्पता है किंतु ५० वें दिन की रात्रि को पर्युषण पर्व किये बिना उल्लंघनी नहीं कल्पती हैं, यह साफ मना लिखी हैं इसीलिये पूर्वोक्त सूत्र तथा चूर्णिपाठों के अनुसार (संमत) पूज्यपाद श्रीजिनपतिसूरिजीमहाराज ने भी अपनी समाचारी में श्रावण वा भाद्रपद मास की अधिकता होने पर आषाढ़ चतुर्मासी से ५० दिने श्रीपर्युषणपर्व करने की आज्ञा लिखी है और ८० दिने पर्युषण पर्व करने की मना लिखी हैं क्योंकि उपर्युक्त श्रीपर्युषणाकल्पसूत्र पाठ में ५०वें दिन की रात्रि को पर्युषण किये बिना उल्लंघनी (नोसे कप्पइ) नहीं कल्पती है यह साफ मना लिखी है तथापि इस शास्त्राज्ञा का भंग करके केवल अपनी कपोल कल्पना से महात्मा श्रीवल्लभविजयजी जो अभिवर्द्धितवर्ष में ८० दिने पर्युषण पर्व करते हैं सो पंचांगी पाठों से सर्वथा प्रतिकूल होने से प्रमाण नहीं हैं । देखिये श्रुतकेवली श्रीभद्रबाहुस्वामि प्रणीत श्रीबृहत्कल्पसूत्रनिर्युक्ति का पाठ । यथा—

अभिवड्ढियंमि वीसा, इयरेसु सवीसइमासो ।

भावार्थ—प्राचीनकाल की यह रीति थी कि अभिवर्द्धित-वर्ष में जैनटिप्पने के अनुसार आषाढ़ पूर्णिमा से २० रात्रि बीतने पर श्रावण सुदी ५ को श्रीपर्युषणपर्व करे और चन्द्र-सम्वत्सर में २० रात्रि सहित १ मास याने ५० दिन बीतने पर भाद्र सुदी ५ को पर्युषण पर्व करे ।

चंद्रवर्ष में मास वृद्धि नहीं होने के कारण से केवल चंद्रवर्ष संबंधी पर्युषणा का पाठ श्री समवायांग सूत्र में यथा—

समणे भगवं महावीरे वासाणं सवीसइराइ मासे वइक्कंते सत्तरिएहिं राइंदिएहिं सेसेहिं वासावासं पज्जोसवेइ ।

भावार्थ—चंद्रवर्ष में मास वृद्धि नहीं होने के कारण से ७० रात्रिदिन शेष रहते और वर्षाकाल के २० रात्रि सहित १ मास बीतने पर याने ५० वें दिन को भाद्र सुदी ५ को स्थान के अभाव से वृक्षमूलादि के नीचे भी श्रमण भगवान् श्री-महावीर प्रभु वर्षावास के पर्युषणा ५० दिने अवश्य करते हैं (यह गणधर महाराज का अभिप्राय टीका में साफ लिखा है) और (अभिवड्ढियवरिसे गिम्हे चेव सो मासो अतिक्कंतो तम्हा वीस दिना) इत्यादि श्रीनिशीथचूर्णि के पाठ से जैनटिप्पने के अनुसार अभिवर्द्धितवर्ष में ग्रीष्म ऋतु में निश्चय वह अधिक एक मास अतिक्रांत हो गया वास्ते १०० दिन शेष रहते अभिवर्द्धितवर्ष में आषाढ पूर्णिमा से २० दिने श्रावण सुदी ५ को पर्युषणा करें ।

लीजिये तीसरा प्रमाण आपही के श्रीतपगच्छाधिपति धुरंधर आचार्य श्रीमान् क्षेमकीर्तिसूरिजी महाराज विरचित श्रीबृहत्कल्पसूत्र निर्युक्ति के उक्त पाठ की टीका संबंधी पाठ यथा—

अभिवर्द्धितवर्षे विंशतिरात्रे गते इतरेपु च त्रिपु चन्द्रसम्वत्सरेपु सविंशतिरात्रे मासे गते गृहिज्ञातं कुर्वन्ति ।

और तपगच्छ के श्रीकुलमंडनसूरिजी ने अपनी रची हुई श्रीकल्पावचूरि में लिखा है कि—

गृहिज्ञाता यस्यां तु सांवत्सरिकातिचारालोचनं १ लुंचनं २ पर्युषणायां कल्पसूत्रकथनं ३ चैत्यपरिपाटी ४ अष्टमं ५ सांवत्सरिकं प्रतिक्रमणं च क्रियते ६ यया च व्रतपर्यायवर्षाणि ७ गण्यंते ।

भावार्थ—अभिवर्द्धितवर्ष में जैनटिप्पने के अनुसार आषाढ़ पूर्णिमा से २० रात्रि बीत जाने पर श्रावण शुक्ल ५ की को गृहिज्ञात पर्युषण करे जिसमें सांवत्सरिक अतिचार का आलोचन १ केशलुंचन २ कल्पसूत्र कथन ३ चैत्यपरिपाटी ४ अष्टमतप ५ सांवत्सरिक प्रतिक्रमण ६ किया जाता है यथा (यया) सीम गृहिज्ञात पर्युषण में दीक्षापर्यायवर्षों को गिनते हैं ७ और तीन चंद्रसंवत्सरों में २० रात्रि सहित १ मास बीतजाने पर भाद्रपद शुक्ल ५ को गृहिज्ञात सांवत्सरिक कृत्ययुक्त पर्युषण करे उपर्युक्त पर्युषणापर्व करने की रीति वर्तमान काल में जैनटिप्पने के अभाव से लौकिक टिप्पने के अनुसार अभिवर्द्धितवर्ष में ५० दिने करने की है और चंद्रसंवत्सर में भी ५० दिने करने की है ८० दिने नहीं—

लीजिये श्रीतपगच्छ के श्रीकुलमंडनसूरिजी महाराज विरचित श्रीकल्पावचूरि का पाठ। यथा—

सा चेद्रवर्षे नभस्य शुक्लपंचम्यां कालकसूर्यादे
शाच्चतुर्थ्यामपि जनप्रकटा कार्या यत्पुनरभिवर्द्धित
वर्षेदिनविंशत्या पर्युषितव्य मित्युच्यते तत्सिद्धान्त

टिप्पनानुसारेण तत्राहि युगमध्ये पौषो युगान्ते चाषाढ़ एव वर्द्धते नान्ये मासास्तानि च टिप्पनानि अधुना न सम्यग् ज्ञायन्तेऽतो दिनपंचाशतैव पर्युषणा संगतेति वृद्धाः ।

भावार्थ—यह गृहिज्ञात सांवत्सरिक कृत्ययुक्त पर्युषणा चंद्र-संवत्सर में ५० दिने भाद्र शुक्र ५ मी को पूर्वकाल में की जाती थी सो श्रीकालकाचार्य महाराज की आज्ञा से ४९ दिने चौथ अपर्वतिथि में भी लोक-प्रसिद्ध की जाती हैं और जो अभिवर्धित वर्ष में आषाढ़ पूर्णिमा से २० दिन बीतने से श्रावण शुक्र ५ को गृहिज्ञात सांवत्सरिक कृत्ययुक्त पर्युषण पर्व करने की शास्त्र की आज्ञा हैं सो जैन-सिद्धांत टिप्पने के अनुसार हैं क्योंकि जैन टिप्पने में पाँच वर्ष का एक युग के मध्यभाग में निश्चय पौष मास बढ़ता है और युग के अंत में आषाढ़ मास ही बढ़ता है अन्य श्रावणादि मास नहीं बढ़ते । उन जैन टिप्पनों का इस समय में सम्यग् ज्ञान नहीं है याने जैन टिप्पने के अनुसार वर्षा चतुर्मासी के बहार पौष और आषाढ़ मास की वृद्धि होती थी वास्ते २० दिने श्रावण सुदी ५ को पर्युषण करते थे उस जैन टिप्पने का ज्ञान के अभाव से लौकिक टिप्पने के अनुसार वर्षा चतुर्मासी के अंदर श्रावण आदि मासों की वृद्धि होती है इसीलिये दूसरे श्रावण सुदी ४ को या प्रथम भाद्र सुदी ४ को ५० दिने पर्युषण करने निश्चय संगत (संमत) है । इस प्रकार श्रीवृद्ध प्राचीन आचार्यों का कथन है, इसको श्रीधर्मविजयजी महात्मा अपने उक्त लेख में लिखी हुई प्रतिज्ञा के अनुकूल मानना स्वीकार करें और अभिवर्द्धित वर्ष में ८० दिने या दूसरे भाद्रपद अधिक मास की सुदी ४ को ८० दिने सिद्धांत-विरुद्ध पर्युषण

करनेवालों को शास्त्र-आज्ञा-भंग दोष लगता है ५० दिने पर्युषण करनेवालों को नहीं। यह भी सत्य मान कर अपनी आत्मा को उत्सूत्र पाप से बचावें क्योंकि आपके गच्छनायक श्रीक्षेमकीर्त्ति-सूरिजी महाराज ने श्रीवृहत्कल्पसूत्र की टीका में और श्री-भद्रबाहु स्वामि ने निर्युक्ति में पर्युषणा को पाँच पाँच दिनों के पंचकद्वारा करने की आज्ञा लिखी है। तत्संबंधी पाठ यथा—

एत्थउ पणगं पणगं, कारणीयं जाव सवीसइ मासो। सुद्ध दसमी ठियाण, आसाढ़ी पुणिमो सरणं।१। अत्रेति आषाढ़ पुर्णिमायां स्थिताः पञ्चाहं यावदेव संस्तारकं डगलादि गृह्णन्ति रात्रौ च पर्युषणाकल्पं कथयन्ति ततः श्रावण बहुल पञ्चम्यां पर्युषणां कुर्वन्ति अथाषाढ़ पूर्णि-मायां क्षेत्रं न प्राप्तं तत एवमेव पञ्चरात्रं वर्षावास-योग्य मुपधि गृहीत्वा पर्युषणाकल्पं च कथयित्वा श्रावणबहुल दशम्यां पर्युषणयन्ति एवं कारणेन रात्रिदिवानां पंचकं पंचकं वर्द्धयता तावत्स्थेयं यावत् सविंशतिरात्रो मासः पूर्णः। अथवा ते आषाढ़ शुद्ध दशम्यामेव वर्षाक्षेत्रे स्थितास्ततस्तेषां पंचरात्रेण डगलादौ गृहीते पर्युषणाकल्पे च कथिते आषाढ़ पूर्णिमायां समवसरणं पर्युषणं भवति एष उत्सर्गः। अत ऊर्द्धकाले पर्युषणा मनुतिष्ठतां सर्वोऽप्यपवादः। अपवादोऽपि सविंशतिरात्रात्

मासात् परतो नाऽतिक्रमयितुं कल्पते यद्येतावत्का-
लेऽपि गते वर्षायोग्यक्षेत्रं न लभ्यते ततो वृक्षमूलेऽपि
पर्युषितव्यं ।

भावार्थ— आषाढ़ पूर्णिमा को स्थित हुए साधु पाँच
दिन में चतुर्मासी के योग्य संस्तारक डगल आदि वस्तुओं को
ग्रहण करे रात्रि में श्रीकल्पसूत्र को कथन करे तो श्रावण
वदी ५ को गृहिअज्ञात पर्युषण करे अथ आषाढ़ पूर्णिमा को
योग्य क्षेत्र न मिला तो उपर्युक्त रीति से पाँच रात्रियों में वर्षा-
वास के योग्य उपधी को ग्रहण करके और श्रीकल्पसूत्र को
वाँच कर श्रावण वदी १० दशमी को गृहिअज्ञात पर्युषण करे
इस तरह कारण योगे पाँच पाँच रात्रि दिनों के पंचक पंचक
वृद्धि से यावत् २० रात्रि सहित एक मास पूर्ण हो वहाँ रहना
अथवा वह साधु आषाढ़ शुक्ल १० मी को चतुर्मासी योग्य-
क्षेत्र में स्थित हुए हो तो उनको पाँच रात्रि करके डगलादि
ग्रहण करने पर और श्रीकल्पसूत्र कथन करने पर आषाढ़ पूर्णिमा
को गृहिअज्ञात पर्युषण होता है यह उत्सर्ग मार्ग है। इसके
उपरांत काल में पर्युषण के निमित्त स्थित हुए साधुओं को
सभी अपवाद मार्ग है। अपवाद मार्ग में भी २० वीस रात्रि
सहित एक मास अर्थात् ५० वें दिन की रात्रि को पर्युषण
किये बिना उल्लंघन करना नहीं कल्पता है यदि उपर्युक्त काल भी
बीत गया हो और वर्षा योग्य क्षेत्र न मिला तो वृक्ष के मूल में
भी रह कर चन्द्रसम्वत्सर में २० रात्रि सहित एक मास याने
५० दिने गृहिज्ञात सांवत्सरिक कृत्ययुक्त पर्युषण करें और जैन-
टिप्पने के अनुसार अभिवर्द्धित वर्ष में २० दिने श्रावण सुदी ५
को गृहिज्ञात याने सांवत्सरिक कृत्ययुक्त पर्युषण करें परंतु इस

समय में जैन-सिद्धांत टिप्पने का सम्यक् ज्ञान नहीं है इसी लिये लौकिक टिप्पने के अनुसार ५० दिने दूसरे श्रावण सुदी ४ को वा प्रथम भाद्र सुदी ४ को पर्युषण करने संगत हैं इसी लिये वृद्ध पूर्वाचार्य कल्पसूत्रादि आगम उद्धारकर्त्ता श्रीदेवर्द्धि-गणिक्षमाश्रमणजी महाराज ने श्रीकल्पसूत्र में ५० वें दिन की रात्रि को पर्युषण किये बिना उल्लंघनी करने नहीं यह साफ मना लिखा है—

तपगच्छ के श्रीधर्मसागरजी, जयविजयजी, विनयविजयजी कृत कल्पसूत्र की टीकाओं में लिखा है कि—

इह हि पर्युषणा द्विविधा गृहिज्ञाता गृहिअज्ञात भेदात् तत्र गृहिणामज्ञाता यस्यां वर्षायोग्य पीठ फलकादौ प्राप्ते कल्पोक्त द्रव्य क्षेत्र काल भाव स्थापना क्रियते सा चाषाढपूर्णिमायां योग्य क्षेत्रा-भावे तु पंच पंच दिन वृद्ध्या दशपर्वतिथि क्रमेण यावत् भाद्रपद सितपंचम्यामेवेति गृहिज्ञाता तु द्विधा सांवत्सरिक कृत्य विशिष्टा गृहिज्ञातमात्रा च तत्र सांवत्सरिक कृत्यानि—सांवत्सरप्रतिक्रांति १ लुंचनं २ चाष्टमं तपः ३ सर्वार्हद्भक्तिपूजा च ४ संघस्य क्षामणं विधिः ५ ॥

भावार्थ—यहां पर्युषणा दो प्रकार की है १ गृहिअज्ञात और २ गृहिज्ञात । इनमें गृहिअज्ञात पर्युषणा यह है कि जिसमें वर्षा काल के योग्य पीठ फलकादि वस्तु प्राप्त हुए कल्प में कही हुई द्रव्य से क्षेत्र से काल से भाव से स्थापना की जाती है

सो आषाढ़ पूर्णिमा को करे। यदि रहने योग्य क्षेत्र का अभाव हो तो आगे पाँच पाँच दिनों के पर्व की वृद्धि से दश पर्व तिथियों में करे। इस तरह चंद्रसंवत्सर में ५० दिने भाद्रपद सुदी ५ को गृहिज्ञात सांवत्सरिक कृत्यविशिष्ट पर्युषण करे और दूसरी गृहिज्ञात सांवत्सरिक कृत्य विशिष्ट पर्युषण जैनटिप्पने के अनुसार अभिवर्द्धित वर्ष में २० दिने श्रावण सुदी ५ को करे। इस गृहिज्ञात पर्युषण में सांवत्सरिक कृत्य यह करने के हैं कि—सांवत्सरिक प्रतिक्रमण १, केशलुंचन २, अष्टमतप ३, चैत्यपरिपाटी ४, संघ को परस्पर क्षामणा ५। इन सांवत्सरिक कृत्यों से युक्त श्रीपर्युषणा पर्व जैनटिप्पने के अभाव से लौकिक टिप्पने के अनुसार अभिवर्द्धित वर्ष में ५० दिने करना संगत है।

देखिये तपगच्छ के उपाध्यायजी श्रीधर्मसागरजी जयविजयजी विनयविजयजी इन तीनों ने अपनी रची हुई कल्पसूत्र की टीकाओं में लिखा है कि—

"एतत्कृत्यविशिष्टा भाद्रपदसितपंचम्यां कालकाचार्यदिशाचतुर्थ्यामपि जनप्रकटा कार्या द्वितीया तु अभिवर्धितवर्षे चातुर्मासिकदिनादारभ्य विंशत्या दिनैः वयमत्र स्थितास्म इति पृच्छतां गृहस्थानां पुरो वदंति सा तु गृहिज्ञातमात्रैव तदपि जैनटिप्पनकानुसारेण यतस्तत्र युगमध्ये पौषो युगान्ते चाषाढ एव वर्द्धते नान्ये मासास्तट्टिप्पनकं चाधुना सम्यग् न ज्ञायतेऽतः पंचाशतैव दिनैः पर्युषणा संगतेति वृद्धाः॥

भावार्थ—उपर्युक्त सांवत्सरिक कृत्ययुक्त गृहिज्ञातपर्युषण चंद्रसंवत्सर में ५० दिने भाद्र सुदी पंचमी पर्व तिथि में थी सो श्रीकालकाचार्य महाराज की आज्ञा से चोथ अपर्व तिथि में भी लोक प्रसिद्ध करनी और दूसरी सांवत्सरिक कृत्ययुक्त गृहिज्ञात पर्युषण अभिवर्द्धित वर्ष में २० दिने श्रावण सुदी ५ को करें १०० दिन शेष स्थित हुए कहे वह पर्युषण जैन-टिप्पने के अनुसार है क्योंकि जैनटिप्पने में पांच वर्ष का एक युग के मध्य भाग में पौष मास और युग के अंत में आषाढ़ मास ही बढ़ता है अन्य श्रावणादि मास नहीं बढ़ते । उन जैनटिप्पनों का इस समय में सम्यग् ज्ञान नहीं है याने जैनटिप्पने के अनुसार वर्षाचतुर्मासी के बाहर पौष और आषाढ़ मास की वृद्धि होती थी, वास्ते २० दिने श्रावण सुदी ५–४ को पर्युषण करते थे उस जैन-टिप्पने का ज्ञान के अभाव से लौकिक टिप्पने के अनुसार वर्षाचतुर्मासी के अंदर श्रावण आदि मासों की वृद्धि होती है इसीलिये दूसरे श्रावण सुदी ४ को वा प्रथम भाद्र सुदी ४ को ५० दिने पर्युषण करने निश्चय संगत हैं ऐसा श्रीवृद्ध प्राचीन आचार्य महाराजों का कथन है—

महाशय वल्लभविजयजी से सादर निवेदन यह है कि—सूत्र निर्युक्ति टीका भाष्य चूर्णिरूप पंचांगी में कहीं भी ऐसा खुलासा पाठ आप बता देवें कि—अभिवर्द्धित वर्ष में दो श्रावण होने से ८० दिने भाद्र सुदी ४ को और दो भाद्रपद होने से २ मास २० दिने याने दूसरे भाद्रपद अधिक मास की सुदी ४ को ८० दिने सांवत्सरिक प्रतिक्रमण १, केशलुंचन २, अट्ठमतप ३, चैत्यपरिपाटी ४, और सर्वसंघ के साथ ५ क्षामणारूप वार्षिक पर्युषण पर्व करना संगत है तो आपका उपकार मानेंगे, लेकिन महात्माजी ! आप हमारा इतिपेगा कि अन्य गच्छ के तथा तुमारे गच्छ के पहिले

और पीछे के आचार्य उपाध्यायों का लेख सूत्र निर्युक्ति टीका चूर्णि आदि इस ग्रंथ में लिखे हुए सिद्धांतों के पाठों से जो विरुद्ध होगा सो प्रमाण नहीं किया जायगा जैसा कि—तुमारे गच्छ के उपाध्याय श्रीधर्म-सागरजी जयविजयजी विनयविजयजी ने अभिवर्द्धित वर्ष में विवादरूप ८० दिने वा दूसरे भाद्रपद अधिक मास की सुदी ४ को ८० दिने सांवत्सरिकप्रतिक्रमण, केशलुंचन इत्यादि सांवत्सरिक कृत्य स्थापन करने के लिये जैनसिद्धान्त टिप्पने के अनुसार अभिवर्द्धित वर्ष में २० दिने श्रावण सुदी ५ को गृहिज्ञात सांवत्सरिक कृत्य युक्त पर्युषणा को गृहिज्ञात मात्रा लिखी है सो सिद्धांत विरुद्ध है—

देखिये श्रीजिनदासमहत्तराचार्य महाराज ने श्रीनिशीथचूर्णि में ऐसा लिखा है कि—

अभिवढ्ढिय वरिसे २० वीसतिराते गते गिहिणातं करेंति तिसु चंदवरिसेसु २० सवीसतिराते मासे गते गिहिणातं करेंति जत्थ अधिमासगो पड़ति वरिसे तं अभिवढ्ढियवरिसं भणणति जत्थ ण पड़ति तं चंदवरिसं सोय अधिमासगो जुगस्सगंते मज्जे वा भवति जइ अंते नियमा दो आसाढ़ा भवन्ति अह मज्जे दो पोसा सिसो पुच्छति कम्हा अभिवढ्ढिय वरिसे वीसतिरातं चंदवरिसे सवीसतिमासं उच्यते जम्हा अभिवढ्ढिय वरिसे गिम्हे चेव सो मासो अतिकंतो तम्हा वीसदिना अणभिग्गहियं

नं पर्जोसि इयरेसु नीसु चंदवरिसेसु सवीसति मास इत्यर्थः ॥

भावार्थ—अभिवर्द्धित वर्ष में आषाढ़ पूर्णिमा से २० रात्रि व्यतीत होने पर श्रावण सुदी ५ को गृहिज्ञात पर्युषणा करे और तीन चन्द्रसंवत्सरों में ५० रात्रि सहित १ मास व्यतीत होने पर भाद्र सुदी ५ को गृहिज्ञात पर्युषण पर्व करे जिस वर्ष में अधिक मास आ पड़ा हो उसको अभिवर्द्धित वर्ष कहते हैं और जिस वर्ष में अधिक मास न आ पड़ा हो उसको चन्द्रवर्ष कहते हैं। वह अधिक मास युग के अंत में और युग के मध्य भाग में होता है यदि युग के अंत में हो तो निश्चय दो आषाढ़ मास होते हैं और युग के मध्य भाग में हो तो निश्चय दो पौष मास होते हैं। शिष्य पूछता है किस कारण से अभिवर्द्धित वर्ष में २० वें दिन की श्रावण सुदी ५ की रात्रि को गृहिज्ञात पर्युषण है और चन्द्र संवत्सर में २० रात्रि सहित १ मास याने ५० वें दिन की भाद्र-सुदी ५ की रात्रि को गृहिज्ञात पर्युषण है? उत्तर—यतःअभिवर्द्धित वर्ष में ग्रीष्म ऋतु में वह एक अधिक मास अतिक्रांत हो जाता है इसीलिये बीस दिन पर्यंत अनिश्चित याने गृहिअज्ञात पर्युषण है और बीसवें दिन श्रावण सुदी पंचमी को गृहिज्ञात पर्युषण करे और तीन चंद्रवर्षों में बीस रात्रि सहित एक मास पर्यंत अनिश्चित याने गृहिअज्ञात पर्युषण है और पचासवें दिन भाद्र सुदी पंचमी को गृहिज्ञात पर्युषण करे। इससे उक्त उपाध्यायों ने अभिवर्द्धित वर्ष में जिनकल्पने के अनुसार बीस दिने श्रावण सुदी पंचमी की गृहिज्ञात पर्युषणा को गृहिज्ञातमात्र लिखी है सो मान्य नहीं किन्तु गृहिज्ञात पर्युषण मान्य है उस गृहिज्ञात पर्युषण में सांवत्सरिक पंच कृत्य करने के उक्त उपाध्यायों ने लिखे हैं सो ठीक है—

क्योंकि श्रीकल्पसूत्र की संदेहविषौषधी टीका में श्रीजिनप्रभसूरिजी ने लिखा है कि—

गृहिज्ञाता तु यस्यां सांवत्सरिकाऽतिचारालोचनं १ लुंचनं २ पर्युषणाकल्पसूत्रकर्षणं ३ चैत्यपरिपाटी ४ अष्टमंतपः ५ सांवत्सरिकप्रतिक्रमणं च क्रियते ६ यया च व्रतपर्यायवर्षाणि गणयन्ते ७ सा (चंद्रवर्षे) नभस्य शुक्ल पंचम्यां कालिक सूर्यादेशाच्चतुर्थ्यामपि जनप्रकटा कार्या यत्पुनरभिवर्द्धितवर्षे दिन विंशत्या पर्युषितव्यमित्युच्यते तत्सिद्धान्तटिप्पणानामनुसारेण तत्र हि युगमध्ये पौषो युगान्ते चाषाढ़ एव वर्द्धते नान्ये मासास्तानि चाधुना सम्यक् न ज्ञायन्ते ततो दिनपंचाशतैव पर्युषणा संगतेति वृद्धाः ततश्च कालावग्रहश्चात्र जघन्यतो नभस्यशित पञ्चम्या आरभ्य कार्तिक चतुर्मासान्तः सप्तति दिनमानः उत्कर्षतो वर्षायोग्य क्षेत्रान्तराभावादाषाढ़ मासकल्पेन सह वृष्टिसद्भावात् मार्गशीर्षेणापि सह षण्मासा इति ॥

भावार्थ—गृहिज्ञात पर्युषणा यह है कि जिसमें सांवत्सरिक अतिचार का आलोचन १ केशलुंचन २ पर्युषणा कल्पसूत्र वांचना ३ चैत्यपरिपाटी ४ अष्टमतप ५ सांवत्सरिक प्रतिक्रमण करने में आता है ६ और (यया) जिस गृहिज्ञात पर्युषणा से दीक्षा पर्याय वर्षों को गिनते हैं ७ वह गृहिज्ञात पर्युषणा चंद्रवर्ष में बीस रात्रि

सहित एक मास याने पचासवें दिन भाद्र सुदी ५मी पर्व तिथि को थी सो श्रीकालिकाचार्य महाराज के आदेश से चौथ पर्वतिथि में भी लोक प्रसिद्ध करना और जो अभिवर्द्धित वर्ष में आषाढ़ पूर्णिमा से बीस दिन बीतने से श्रावण सुदी ५ को गृहिज्ञात याने सांवत्सरिक कृत्ययुक्त पर्युषण पर्व करने की शास्त्र की आज्ञा है सो जैन सिद्धांत टिप्पने के अनुसार है क्योंकि जैनटिप्पने में पांच वर्ष का एक युग के मध्य भाग में पौष मास और युग के अंत में आषाढ़ मास ही बढ़ता है अन्य श्रावणादि मास नहीं बढ़ते। उन जैन टिप्पनों का इस समय में सम्यग् ज्ञान नहीं है याने जैन टिप्पने के अनुसार वर्षाचतुर्मासी के बाहर पौष और आषाढ़ मास की वृद्धि होती थी वास्ते २० दिने श्रावण सुदी ४ को पर्युषण करते थे। उस जैन टिप्पने का सम्यग् ज्ञान इस समय नहीं होने से लौकिक टिप्पने के अनुसार वर्षाचतुर्मासी के अंदर श्रावण आदि मासों की वृद्धि होती है इसी लिये दूसरे श्रावण सुदी ४ को वा प्रथम भाद्र सुदी ४ को २० दिन सहित १ मास याने ५० दिने पर्युषण करने निश्चय संगत (आगम संमत) है या श्रीवृद्ध प्राचीन आचार्यों का वचन (उपर्युक्त पाठ) लिखा हुआ है—पर्युषण के अनन्तर कालावग्रह याने रहने की स्थिति जघन्य से संवत्सर में भाद्र सित पंचमी से यावत् कार्तिक चतुर्मासी पर्यंत ७० दिन प्रमाण है। उत्कर्ष से वर्षा योग्य क्षेत्र के अभाव से आषाढ़ मास कल्प के साथ वृष्टि के सद्भाव से मार्गशीर्ष मास के साथ ६ मास का है। अभिवर्द्धित वर्ष में प्राचीन काल की २० दिन की पर्युषणा से १०० दिन शेष रहते थे और अभी भी जैनटिप्पने के अभाव से लौकिक टिप्पने के अनुसार दूसरे श्रावण में वा प्रथम भाद्रपद में ५० दिने पर्युषण करने से चतुर्मासी के १०० दिन पूर्व काल की तरह शेष रहते हैं यह मध्यम कालावग्रह है।

श्रीजिनवल्लभसूरिजी महाराजकृत श्रीसंघपट्टक नामक ग्रंथ की श्रीजिनपतिसूरिजी महाराजकृत बृहत्टीका में श्लोक का प्रमाण है कि—

वृद्धौ लोकदिशा नभस्य नभसोः सत्यां ...तोक्तं दिनं पञ्चाशं परिहृत्य ही शुचिभवात् पश्चाच्चतुर्मासकात्। तत्राशीतितमे कथं विदधते मूढा महं वार्षिकं कुग्राहाद् विगणय्य जैनवचसो बाधां मुनिव्यंसकाः ॥ १ ॥

भावार्थ—लौकिक टिप्पने के अनुसार श्रावण अथवा भाद्र पद की वृद्धि होने पर सिद्धांतों में कही हुई आषाढ़ चतुर्मासी से आरम्भ करके पचास दिने पर्युषणा पर्व की मर्यादा को त्याग के अपने कदाग्रह से जैन वचनों में बाधा न विचार कर मुनियों में धूर्त लिंगधारी चैत्यवासी मूढ़ लोग ८० दिने वार्षिक पर्युषणा पर्व क्यों करते हैं ?

श्रीपर्युषणाकल्पसूत्र समाचारी में वृद्ध श्रीदेवर्द्धिगणिक्षमाश्रमणजी महाराज ने लिखा है कि—

तेणं कालेणं तेणं समएणं समणे भगवं महावीरे वासाणं सविसईराए मासे विइक्कंते वासावासं पज्जोसवेइ ॥ १ ॥ से केणट्ठेणं भंते एवं वुच्चइ समणे भगवं महावीरे वासाणं सविसईराए मासे विइक्कंते वासावासं पज्जोसवेइ जउणं पाएणं आगारीणं आगाराइं, कुडियाइं, उक्कंपियाइं, छन्नाइं, लित्ताइं, घट्ठाइं, मट्ठाइं, संपूमियाइं, खाउदगाइं, खायनिद्धमणाइं, अप्पणो अट्ठाए, कडाइं, परिभु-

साइं, परिणामियाइं, भवंति से तेणट्ठेणं एवं वुच्चइ समणे भगवं महावीरे वासाणं सविसइराए मासे, विइक्कंते वासावासं पज्जोसवेइ ॥ २ ॥ जहाणं समणे भगवं महावीरे वासाणं सविसइराए मासे विइक्कंते वासावासं पज्जोसवेइ तहाणं गणहरावि वासाणं सवीसइराए मासे वइक्कंते वासावासं पज्जोसविंति ॥३॥ जहाणं गणहरा वि वासाणं सवीसइराए मासे जाव पज्जोसविंति तहाणं गणहरसीसा वि वासाणं जाव पज्जोसविंति ॥ ४ ॥ जहाणं गणहरसीसा वासाणं जाव पज्जोसविंति तहाणं थेरा वि वासावासं जाव पज्जोसविंति ॥ ५ ॥ जहाणं थेरा वासाणं जाव पज्जोसविंति तहाणं जे इमे अज्जत्ताए समणा निग्गंथा विहरंति एए-विअणं वासाणं जाव पज्जोसविंति ॥ ६ ॥ जहाणं जे इमे अज्जत्ताए समणा निग्गंथावि वासाणं सवीसइराए मासे विइक्कंते वासावासं पज्जोसविंति तहाणं अह्मंवि आयरिया उवज्झाया वासाणं जाव पज्जोसविंति ॥ ७ ॥ जहाणं अह्मं आयरिया उवज्झाया वासाणं जाव पज्जोसविंति, तहाणं अह्मेवि वासाणं सवीसइराए मासे विइक्कंते वासावासं पज्जोसवेमो अंतराविय से कप्पइ नो से कप्पइ तं रयणिं उवायणावित्तए ॥८॥

भावार्थ—उस काल उस समय में श्रमणभगवान् श्री-
महावीर प्रभु आषाढ़ चतुर्मासी से २० रात्रि सहित १ मास
बीतने पर वर्षावास के पर्युषण करते थे शिष्य गुरु से प्रश्न करता
है हे भगवन् किस कारण से श्रीवीरप्रभु २० रात्रियुक्त १ मास
होने पर वर्षाकाल के पर्युषण करते थे? उत्तर—यतः प्रायः गृहस्थ
लोगों के मकान कटयुक्त होते हैं और खड़ी से धवलित किये
होते हैं, तृणादि से आच्छादित किये और गोमय [छाण] से
लिपे हुए होते हैं बाड़ करके गुप्त किये और विसम भूमि को तोड़ कर
समभाग किये होते हैं और पाषाणसे घिसके कोमल किये और सुगंध
के लिये धूप से वासित किये होते हैं। फिर किया है मणाली रूपजल-
मार्ग जिन्हों के वैसे होते हैं तद्वत् खोदा है खाल जिनका एवं उपर्युक्त
प्रकार वाले मकान गृहस्थ लोगों ने अपने लिये अचित्त किये होते हैं
(तिस कारण से साधु को अधिकरण दोष लगे) वास्ते हे शिष्य! लौ-
किक टिप्पने की अपेक्षासे उस काल में श्रमण भगवान् श्रीमहावीरतीर्थ-
कर वर्षाकाल के २० दिनयुक्त १मास व्यतिक्रान्त होनेपर पर्युषण करते
यथा श्रमण भगवान् श्रीमहावीर प्रभु वर्षाकाल के २० रात्रि
सहित १ मास बीतने पर वर्षावास के पर्युषण किये तथा गणधर
भी वर्षाकाल के २० रात्रि सहित १ मास व्यतिक्रांत होने पर
वर्षावास के पर्युषण किये यथा गणधर भी वर्षा काल के २०
रात्रि सहित १ मास होने पर यावत् पर्युषण किये तथा गणधर
शिष्य भी वर्षाकाल के यावत् ५० दिने पर्युषण किये यथा गण-
धर शिष्य वर्षा काल के यावत् ५० दिने पर्युषण किये तथा
स्थविर साधु भी वर्षावास के यावत् ५० दिने पर्युषण किये यथा
स्थविर साधु वर्षाकाल के यावत् ५० दिने पर्युषण किये तथा
जो यह अभी के काल के व्रत स्थविर श्रमण निर्ग्रंथ विचर रहे हैं
यह भी वर्षाकाल के यावत् ५० दिने श्रीपर्युषण पर्व करते हैं

यथा जो यह अभी के काल के श्रमण निर्ग्रंथ भी २० रात्रियुक्त १ मास बीतने पर वर्षावास के पर्युषणा करते हैं तथा हमारे भी आचार्य उपाध्याय वर्षाकाल के यावत् ५० दिने पर्युषणा करते हैं यथा हमारे आचार्य उपाध्याय वर्षाकाल के यावत् ५० दिने पर्युषणा करते हैं तथा हम लोग भी वर्षा काल के २० रात्रिसहित १ मास (५० दिन) बीतने पर वर्षावास के श्रीपर्युषणापर्व करते हैं और ५० दिन के भीतर भी पर्युषणा करना कल्पता है, लेकिन ५० वें दिन की रात्रि को श्रीपर्युषणा पर्व किये विना उल्लंघन करना नहीं कल्पता है। तपगच्छ के श्रीविनयविजयजी ने अपनी रची हुई कल्पसूत्र की सुबोधिका टीका में लिखा है कि—

गृहिज्ञाता तु द्विधा सांवत्सरिक कृत्य विशिष्टा गृहिज्ञातमाला च तत्र सांवत्सरिक कृत्यानि सांवत्सरप्रतिक्रांति, १ लुंचनं २ चाष्टमंतपः ३ ॥ सर्वार्हद्भक्तिपूजा च ४ संघस्य क्षामणं मिथः ५ ॥ १ ॥

भावार्थ—निर्युक्ति तथा चूर्णि और टीका इनों के उक्त पाठों के अनुसार चंद्रवर्षों में १ मास २० दिने भाद्र सुदी ५ को गृहिज्ञात सांवत्सरिक कृत्य विशिष्ट पर्युषणा और दूसरी अभिवर्द्धितवर्ष में २० दिने श्रावण सुदी ५ को गृहिज्ञात सांवत्सरिक कृत्य विशिष्ट पर्युषणा करने की है (तत्र) उस गृहिज्ञात पर्युषणा में सांवत्सरिक प्रतिक्रमण १ केशलुंचन २ अष्टमतप ३ चैत्यपरिपाटी ४ और संघ के साथ क्षामणा ५ यह सांवत्सरिक कृत्य करने के हैं इसी लिये पौष आषाढ़ मास की वृद्धिवाले जैन टिप्पने के अनुसार अभिवर्द्धितवर्ष में २० दिने श्रावण सुदी ५ को गृहिज्ञात सांवत्सरिक कृत्य विशिष्ट पर्युषणा के स्थान में जैनटिप्पने का इस काल में सम्यग् ज्ञान नहीं है इसीलिये श्रावण आदि मासों की

वृद्धिवाले लौकिक टिप्पने के अनुसार २० दिन सहित १ मास अर्थात् दूसरे श्रावण सुदी ४ को वा प्रथम भाद्रपद सुदी ४ को ५० दिने पर्युषणा करना युक्त है—

श्रीविनयविजयजी ने यही अधिकार श्रीकल्पसूत्र सुबोधिका टीका में लिखा है कि—

केवलं गृहिज्ञाता तु सा यत् अभिवर्द्धितवर्षे चातुर्मासिकदिनादारभ्य विंशत्या दिनै वयमत्र स्थितास्म इति पृच्छतां गृहस्थानां पुरो वदन्ति तदपि जैनटिप्पनकाऽनुसारेण यतस्तत्र युगमध्ये पौषो युगान्ते चाषाढ एव वर्द्धते नान्ये मासास्तट्टिप्पनकं तु अधुना सम्यग् न ज्ञायते अतः पंचाशतैव दिनैः पर्युषणा युक्तेति वृद्धाः

भावार्थ—अभिवर्द्धितवर्ष में आषाढ़ चातुर्मासिक दिन से २० दिने श्रावण सुदी ५ को गृहिज्ञात सांवत्सरिक कृत्य विशिष्ट पर्युषणा करें और पूछते हुए गृहस्थों के समक्ष साधु कहे कि हम यहाँ १०० दिन शेष स्थित हुए हैं यह पर्युषणा जैनटिप्पने के अनुसार क्योंकि जैनटिप्पने में युगके मध्यभाग में पौष मास बढ़ता है और युग के अंतमें आषाढ़ मास ही बढ़ता है अन्य श्रावणादि दूसरे मास नहीं बढ़ते हैं वह जैनटिप्पना वर्तमान काल में सम्यक् प्रकार जानने में नहीं आता है इसी लिये लौकिक टिप्पने के अनुसार दूसरे श्रावण सुदी ४ को या प्रथम भाद्रसुदी ४ को ५० दिने पर्युषण करना युक्त है । इस प्रकार श्रीप्राचीन वृद्धाचार्यों का कथन है ।

महाशय ! सद्धर्मरागियों ! श्रावण या भाद्रपद मासकी

ने से उपर्युक्त पाठों से सर्वथा विरुद्ध ८० दिने या दूसरे शरद आश्विन मास की सुदी ४ को ८० दिने आप अनुक्त पर्युषण करते हैं क्योंकि लौकिक टिप्पने के अनुसार आश्विन मास की वृद्धि होती है तो आप लोग भी भाद्रसुदी ४ को ५० वे दिन सांवत्सरिक कृत्य युक्त पर्युषण करते हैं उसके बाद १०० दिन शेष उसी क्षेत्र में आप रहकर कार्तिकसुदी १४ को प्रतिक्रमणादि कृत्य करके पूनम या एकम को विहार करते हैं तथापि आप के उक्त उपाध्यायों ने—

आश्विनवृद्धौ चातुर्मासिककृत्यमाश्विनसितचतुर्दश्यां कर्त्तव्यं स्यात् ।

अर्थात् आश्विनमास की वृद्धि होने पर चातुर्मासिक प्रतिक्रमणादि कृत्य आश्विन सुदी १४ को करना होगा—यह किस पंचांगीपाठ के आधार से लिखा है ? देखिये श्रीनिशीथचूर्णि आदि ग्रंथों में लिखा है कि—

वरिसारत्तं एगखेत्ते अत्थिता कत्तियचाउम्मासिय पडिक्कमिय पडिवयाए अवस्स णिग्गंतव्वं ।

याने वर्षाकाल में साधु एक क्षेत्र में रहकर कार्तिक चातुर्मासिक प्रतिक्रमण करके (पड़िवया) एकम को अवश्य विहार करना । आपके उक्त उपाध्यायों ने—

कार्त्तिकसितचतुर्दश्यां करणे तु दिनानां शतातया समणे भगवं महावीरे वासाणं सवीसइराए मासे वइक्कंते सत्तरिराइंदिएहिं सेसेहिं वासावासं पज्जोसवेइ इति समवायांगवचनबाधा स्यात् ।

अर्थात् कार्तिक सुदी १४ को चातुर्मासिक प्रतिक्रमणादि

इय सत्तरी गाथा एवं सत्तरि भवति सवीसतिराते मासे पज्जोसवेत्ता कत्तियपुण्णिमाए पडिक्कमित्ता वितियदिवसे णिग्गयाणं, पंचसत्तरी भद्दवयअमावसाए पज्जोसवेत्ताणं, भद्दवयबहुलदसमीए असीति, भद्दवयबहुलपंचमीए पंचासीति, सावणपुण्णिमाए णउति, सावणसुद्धदसमीए पंचणउति, सावणसुद्धपंचमीए सयं, सावणअमावसाए पंचुत्तरंसयं, सावणबहुलदसमीए दसुत्तरंसतं, सावणबहुलपंचमीए पण्णरसुत्तरंसतं, आषाढपुण्णिमाए विसुत्तरंसतं, कारणे पुण छम्मासिओ जेट्ठोग्गहो उक्कोसो उग्गहो भवति ।

अर्थ—इस पाठ में चूर्णिकार महाराज लिखते हैं कि इय सत्तरी इत्यादि निर्युक्ति की गाथा है तदनुसार चंद्रवर्ष में ७० रात्रि सहित १ मास अर्थात् ५० दिने भाद्र शुक्ल पंचमी को गृहिज्ञात (सांवत्सरिक कृत्य विशिष्ट) पर्युषणा पर्व किये बाद कार्त्तिक पूर्णिमा को प्रतिक्रमण करके दूसरे दिन विहार करनेवाले साधुओं को ७० दिन उस क्षेत्र में रहने के होते हैं, ७५ दिन भाद्रपद अमावस्या को (गृहिअज्ञात) पर्युषणास्थापना करने वालों को होते हैं. इसी तरह भाद्रपद कृष्ण दशमी को ८० दिन, एवं भाद्रपद कृष्ण पंचमी को ८५ दिन, श्रावण पूर्णिमा को ९० दिन, एवं श्रावण शुक्ल दशमी को चंद्रवर्ष में (गृहिअज्ञात) पर्युषण पर्व की स्थापना करनेवाले साधुओं को कार्त्तिक पूर्णिमापर्यंत ९५ दिन रहने के लिये होते हैं।

एवं चन्द्रवर्ष में श्रावण शुक्ल ५ को गृहिअज्ञात उक्त स्थापना पर्युषण और अभिवर्द्धित वर्ष में जैनटिप्पने के अनुसार २० दिने

कृत्य करने में १०० दिन हो जाने से श्रीवीर प्रभु ५० दिने पर्युषण करने के बाद ७० दिन शेष रहते थे इस समवायांग वचन को बाधा होगी यह व्यर्थ प्रलाप लिखा है क्योंकि यदि ऐसाही एकांत से मानते हो तो १०० दिने दूसरे कार्तिक अधिक मास की सुदी १४ को कार्तिक चतुर्मासी प्रतिक्रमणादि कृत्य करने का मिथ्या कदाग्रह त्यागकर ७० दिने स्वाभाविक प्रथम कार्त्तिक सुदी १४ को कार्त्तिक चतुर्मासिक प्रतिक्रमणादि कृत्य करके दूसरे दिन विहार करना, यह मंतव्य आप लोग क्यों नहीं मानते हो ? प्रिय मित्र ! वल्लभ विजय जी ! याद रखना ८० दिने पर्युषण करने से उपर्युक्त शास्त्रवचनों को बाधा होती है इसीलिये पर्युषण किये विना ५०वें दिन की रात्री उल्लंघनी कल्पती नहीं है, यह श्रीपर्युषणकल्पसूत्रादि में साफ मना लिखी है। वास्ते इस आज्ञा का भंग क्यों करते हो ? और किस वचन को बाधा आती थी सो श्रीकालिकाचार्य महाराज ने मास वृद्धि के अभाव से चंद्रवर्ष में ७१ दिन शेष रहते ४९ दिने चौथ को पर्युषण किये ?

देखिये जैनटिप्पने के अभाव से लौकिक टिप्पने के अनुसार श्रावण या भाद्रपद वा आश्विन मास की वृद्धि होने से ५० दिने पर्युषण करने के बाद १०० दिन शेष रहते हैं तथा कार्तिक आदि अन्यमासों की वृद्धि होती है तो ५० दिने पर्युषण करने के बाद ७० दिन शेष रहते हैं इससे ७० दिन शेष रहने संबंधी श्रीसमवायांगवाक्य को बाधा नहीं होती है क्योंकि प्रथम जैन-टिप्पने के अनुसार पर्युषण तथा उस क्षेत्र में साधु को शेष दिन रहने संबंधी कालावग्रह श्रीनिर्युक्तिकार और श्रीवृहत्कल्पसूत्र चूर्णिकार आदि महाराजों ने लिखा है कि—

इय सत्तरि जहण्णा। असीइ णउइ दसुत्तरसयं च॥
जइ वासमग्गसिरे। दसराया तिण्णि उक्कोसा ॥ १ ॥

इय सत्तरी गाथा एवं सत्तरि भवति सवीसतिराते मासे पज्जोसवेंता कत्तियपुरिणमाए पडिक्कमित्ता वितियदिवसे णिग्गयाणं, पंचसत्तरी भद्दवयग्रमावसाए पज्जोसवेंताणं, भद्दवयबहुलदसमीए असीति, भद्दवयबहुलपंचमीए पंचासीति, सावणपुरिणमाए णाउति, सावणसुद्धदसमीए पंचणउति, सावणसुद्धपंचमीए सयं, सावणअमावसाए पंचुत्तरसयं, सावणबहुलदसमीए दसुत्तरसतं, सावणबहुलपंचमीए पण्णरसुत्तरसतं, आषाढ़पुरिणमाए विसुत्तरसतं, कारणे पुण छम्मासिओ जेट्टोत्ति उक्कोसो उग्गहो भवति ।

अर्थ—इस पाठ में चूर्णिकार महाराज लिखते हैं कि इय सत्तरी इत्यादि निर्युक्ति की गाथा है तदनुसार चंद्रवर्ष में ७० रात्रि सहित १ मास अर्थात् ५० दिने भाद्र शुक्ल पंचमी को गृहिज्ञात (सांवत्सरिक कृत्य विशिष्ट) श्रीपर्युषणा पर्व किये बाद कार्तिक पूर्णिमा को प्रतिक्रमण करके दूसरे दिन विहार करनेवाले साधुओं को ७० दिन उस क्षेत्र में रहने के होते हैं, ७५ दिन भाद्रपद अमावस्या को (गृहिअज्ञात) पर्युषणास्थापना करने वालों को होते हैं, इसी तरह भाद्रपद कृष्ण दसमी को ८० दिन, एवं भाद्रपद कृष्ण पंचमी को ८५ दिन, श्रावण पूर्णिमा को ९० दिन, एवं श्रावण शुक्ल दसमी को चंद्रवर्ष में (गृहिअज्ञात) पर्युषण पर्व की स्थापना करनेवाले साधुओं को कार्तिक पूर्णिमापर्यन्त ९५ दिन रहने के लिये होते हैं ।

एवं चन्द्रवर्ष में श्रावण शुक्ल ५ को गृहिअज्ञात अतः स्थापना पर्युषण और अभिवर्द्धित वर्ष में जैनटिप्पने के अनुसार २० दिने

श्रावण शुक्ल पंचमी को गृहिज्ञात [सांवत्सरिक कृत्य विशिष्ट] पर्युषण पर्व करने वाले साधुओं को कार्तिक पूर्णिमा पर्यंत १०० दिन उस क्षेत्र में शेष रहने के होते हैं, श्रावण अमावास्या को उक्त गृहिज्ञात पर्युषणापर्व की स्थापना करनेवालों को १०५ दिन होते हैं, एवं श्रावण कृष्ण दशमी को ११० दिन, एवं श्रावण कृष्ण पंचमी को ११५ दिन, एवं आषाढ़ पूर्णिमा को गृहिज्ञात पर्युषण पर्व की स्थापना करके रहे हुए साधुओं को कार्तिक पूर्णिमा पर्यंत १२० दिन रहने के होते हैं, कारणयोगे पुनः काउण मासकप्पं, तत्थेव ठियाण जइ वासं । मग्गसिरे सालंबणाणं । छम्मासिओ जेट्ठोग्गहो होइत्ति ॥ २ ॥ इस निर्युक्ति गाथा से दूसरा अधिक आषाढ़ मास कल्प के दिनों को गिनती में मान कर मगसिर मासकल्प पर्यंत ६ महीने अर्थात् १८० दिन उस क्षेत्र में स्थविरकल्पि साधुओं को रहने का [ज्येष्ठ] उत्कृष्ट कालावग्रह है ।

विसंवादी का प्रश्न—स्वामी ! आपने उपर्युक्त शास्त्रों के जो प्रमाण बताए हैं ये तो सब सत्य हैं । परन्तु हम लोग तो श्रीसमवायांगसूत्र के वचन को प्रमाण मानकर सांवत्सरिक प्रतिक्रमण से ७० दिन शेष मानते हैं अतएव अभिवर्द्धित वर्ष में लौकिक टिप्पने के अनुसार आश्विन वा कार्तिक मास की वृद्धि होने पर कालचूलारूप अधिक मास को गिनती में स्वीकार न करके १०० दिन के स्थान में ७० दिन मान लेते हैं और इसी प्रकार श्रावण वा भाद्रव मास की वृद्धि होने पर ८० दिन के स्थान में ५० दिन कर लेते हैं और श्रीपर्युषणापर्व दूसरे श्रावण में वा प्रथम भाद्रपद में ५० दिने न करके ८० दिने यावत् दूसरे भाद्रपद अधिक मास में करते हैं । इसलिये क्या हमारा यह उक्त मंतव्य शास्त्र-विरुद्ध है ?

उत्तर—अहो देवानुप्रिय ! बालजीवों को भरमाने के लिये

चंद्रसंवत्सर संबंधी श्रीसमवायांगसूत्र के पाठ को [illegible] संबंधी पर्युषण के स्थान में योजना [illegible] मनमानी कपोलकल्पना दिखाने की [illegible] से प्रत्यक्ष विरुद्ध है। तथाहि तत्पाठ—

समणे भगवं महावीरे वासाणं सवीसइराइ मासे वइक्कंते सत्तरिएहिं राइंदिएहिं सेसेहिं वासा-वासं पज्जोसवेइ।

देखिये, इस पाठ में उपर्युक्त आपकी कपोलकल्पना का गंध भी नहीं है, क्योंकि यह पाठ अभिवर्द्धित नहीं होने से चन्द्र-संवत्सर के लिये केवल इतना ही विदित करता है कि [illegible] भगवान् महावीर प्रभु वर्षाकाल के ५० रात्रिदिन [illegible] बीतने पर और ७० दिन रात्रि शेष रहते वर्षाकाल का पर्युषण करते थे। यह कथन अभिवर्द्धित वर्ष संबंधी नहीं है किन्तु चन्द्रसंवत्सर संबंधी है। सो उपर्युक्त श्रीनिशीथचूर्णि आदि [illegible] से स्पष्ट विदित होता है। यथा—

अभिवड्ढिय वरिसे वीसतिराते गते गिहिणातं करेंति तिसु चंदवरिसेसु सवीसतिराते मासे गते गिहिणातं करेंति इत्यादि।

अभिवर्द्धित वर्ष में जैनटिप्पने के अनुसार २० दिने गृहिज्ञात पर्युषणा है सो जैनटिप्पने के अभाव से लौकिक टिप्पना के अनु-सार पंचाशतैव दिनैः पर्युषणा संगतेति [illegible] ५० दिने पर्युषणा करना प्राचीनकाल के वृद्ध आचार्यों ने मान्य रखा है, शेष १०० दिन पर्यन्त रहते हैं। और तीन चन्द्रवर्षों में ५० रात्रिदिन ?

मास बीतने पर गृहिज्ञात पर्युषणा करे, शेष ७० दिन चन्द्रसंवत्सर की पर्युषणा से पूर्ववत् रहते हैं। परन्तु चन्द्रसंवत्सर संबंधी ७० दिन के समवायांग सूत्रवाक्य को अभिवर्द्धित वर्ष में बतला कर शास्त्रकारों की कही हुई अभिवर्द्धित वर्ष संबंधी ५० दिने पर्युषणा को उल्लंघन करने के लिये १०० दिन के स्थान में ७० दिन की झूठी कल्पना करनी तथा ८० दिन के स्थान में ५० दिन की असत्य कल्पना करके यावत् दूसरे भाद्रपद अधिक मास में ८० दिने पर्युषणा प्रतिपादन करना यह शास्त्रविरुद्ध उत्सूत्रप्ररूपणा का कदाग्रहमार्ग सर्वथा अनुचित है।

महाशय वल्लभविजयजी ! आपके उक्त उपाध्यायों ने लिखा है कि—"दिनगणनायां त्वऽधिकमासः कालचूलेत्यऽविवक्षणात् इत्यादि"—अर्थात् दिनों की गिनती में तो अधिक मास कालचूला याने काल पुरुष के सिर पर चूड़ामणि रत्न समान अधिक मास उसके दिनों को गिनती में नहीं लेने से १०० दिन के ७० दिन हो जाते हैं और ८० दिन के ५० दिन कर लेते हैं। १०० दिन की वा ८० दिनकी बात भी कहाँ रहती है। इत्यादि आपके उक्त उपाध्यायजी ने हुकम जारी किया है सो कौन से सूत्र के कौन से दफे मूजिब किया है ? और उक्त हुकम के अनुसार १०० दिने दूसरे कार्त्तिक अधिकमास में चतुर्मासी कृत्य गिनती में किस तरह मानते हो ? तथा ८० दिने दूसरे भाद्रपद अधिकमास में पर्युषणकृत्य भी गिनती में कैसे माने जायगें ? क्योंकि उक्त अधिक मासों के दिनों को तो आप गिनती में मानते नहीं है, फिर आपके उक्त उपाध्यायजी ने पर्युषणा भाद्रपद मास प्रतिबद्धा इत्यादि लिखकर (अज्ज कालगेण सालवाहणो भणिओ भद्दवयजुण्ह पंचमीए पज्जोसवणा इत्यादि) कल्पचूर्णि तथा निशीथचूर्णि का पाठ

जी के मनोनिश्रा प्रमाण कौन मान्य मानेगा ? क्योंकि आगम में तो निर्युक्तिकार श्रीमद्भद्रबाहुस्वामि ने लिखा है कि—

अभिवड्ढियंमि २० वीसा, इयरेसु २० सवीसइ १ मासो ।

और श्रीनिशीथचूर्णि में श्रीजिनदासगणिमहत्तराचार्य महाराज ने लिखा है कि—

अभिवड्ढिय वरिसे २० वीसतिरात्ते गते गिहिणातं करेंति तिसु चंदवरिसेसु २० सवीसतिरात्ते १ मासे गते गिहिणातं करेंति इत्यादि ।

उपर्युक्त सिद्धांतपाठों से जैनटिप्पने के अनुसार अभिवर्द्धित वर्ष में २० वें दिन श्रावण सुदी ५ को गृहिज्ञात सांवत्सरिक कृत्य विशिष्ट पर्युषणा करें और तीन चंद्रवर्षों में २० रात्रि-सहित १ मास याने ५० वें दिन भाद्र सुदी ५ को गृहिज्ञात सांवत्सरिक कृत्य-विशिष्ट पर्युषणा करें। इस काल में जैनटिप्पने का सम्यग् ज्ञान नहीं है, वास्ते अभिवर्द्धित वर्ष में जैनटिप्पने के अनुसार २० वें दिन श्रावण सुदी ५ को गृहिज्ञात सांवत्सरिक कृत्ययुक्त पर्युषणा के स्थान में लौकिक टिप्पने के अनुसार ५० वें दिन दूसरे श्रावण सुदी ४ को वा प्रथम भाद्र सुदी ४ को पर्युषणा करना संगत (युक्त) है। अर्थात् ८० दिने भाद्र सुदी ४ को वा दूसरे भाद्रपद अधिक मास की सुदी ४ को ८० दिने पर्युषणा करना संगत नहीं है (युक्त नहीं है)। सो ऊपर में अनेक शास्त्रपाठों से बता चुके हैं।

महाशय वल्लभविजयजी ! आपके धर्मसागरजी आदि उक्त

उपाध्यायों ने अपनी रची हुई कल्पसूत्र की टीकाओं में उक्त लेख के अनंतर लिखा है कि—

कार्तिकमास प्रतिबद्ध चतुर्मासिकं कृत्यकरणे यथा नाऽधिकमासः प्रमाणं तथा भाद्रमास प्रतिबद्ध पर्युषणाकरणेऽपि नाऽधिकमासः प्रमाण मिति त्यजकदाग्रहं ।

याने कार्तिकमास प्रतिबद्ध चतुर्मासिक कृत्य करने में अधिकमास दूसरा कार्तिक *जैसा प्रमाण नहीं है वैसा भाद्रपद मास* प्रतिबद्ध पर्युषणा करने में भी अधिकमास दूसरा भाद्र प्रमाण नहीं है, इसलिये कदाग्रह को त्याग कर। तो आप लोग चतुर्मासिक कृत्य १०० दिने दूसरे कार्तिक अधिकमास में करने का दुराग्रह क्यों करते हैं ? अथवा ७० दिने प्रथम कार्तिकमास में चतुर्मासिक कृत्य क्यों नहीं करते हैं ? इसी तरह दूसरे भाद्रपद अधिक मास में ८० दिने पर्युषणा करने का कदाग्रह त्यागकर शास्त्रसंमत ५० वें दिन प्रथम भाद्रसुदी ४ को पर्युषण क्यों नहीं करते हो ? फिर आगे आपके उपाध्यायजी ने लिखा है कि—

अधिकमास किं काकेन भक्षितः किंवा तस्मिन् मासे पापं न लगति उतबुभुक्षा न लगति इत्याद्युपहसन् मा स्वकीयं ग्रहिलत्वं प्रकटय ।

अर्थात् अधिकमास को क्या काक (कौए) भक्षण कर गए अथवा उस अधिकमास में क्या पाप नहीं लगता, क्या भूख नहीं लगती कि जिससे अधिकमास को उसके दो पक्षों को ३० दिनों को गिनती में नहीं मानते हो ? इत्यादि उपहास्य करता हुआ

अपना ग्रथिलपणा प्रकट मत कर। इससे आपका मंतव्य शास्त्रसंमत कदापि नहीं हो सकता। क्योंकि दूसरे भाद्रपद अधिकमास को तुम-लोग भी गिनती में स्वीकार करते हो तथा अधिकमास में पाप पुण्य का बंध और भूँख लगती है यह भी मानते हो तो ग्रथिल [पागल—मूर्ख] की तरह अधिकमास गिनती में नहीं, गिनती में नहीं, ऐसा सर्वथा महामिथ्या उत्सूत्रवचन बोलते हुए अपना उपहास्य क्यों कराते हो ?

उत्सूत्रवादी का प्रश्न—अधिकमास को गिनती में नहीं मानकर अभिवर्द्धित वर्ष के १२ मास २४ पक्ष ३६० रात्रिदिन का ही अभ्युट्ठिया खमाना उचित है, किंतु १३ मास २६ पक्ष ३९० रात्रिदिन युक्त अभ्युट्ठिया खमाना उचित नहीं है ?

उत्तर—अहो देवांनुप्रिय ! चन्द्रसंवत्सर के १२ मास २४ पक्ष हैं, उनको अभिवर्द्धित वर्ष में योजित करके झूठी कल्पना से शास्त्रविरुद्ध उत्सूत्रप्ररूपणा क्यों करते हो ? कारण कि शास्त्रों में तो अभिवर्द्धित वर्ष के १३ मास २६ पक्ष श्रीतीर्थंकर तथा गणधर महाराजों ने कहे हैं।

श्रीगणधर महाराजप्रणीत चन्द्रप्रज्ञप्तिसूत्र में मूलपाठ। यथा—

गोयमा ता पढमस्सणं चंदसंवच्छरस्स चउवीसाइं पव्वाइं दोच्चस्सणं चंदसंवच्छरस्स चउवीसाइं पव्वाइं तच्चस्सणं अभिवड्ढिय संवच्छरस्स छवीसाइं पव्वाइं चउरथस्सणं चंदसंवच्छरस्स चउवीसाइं पव्वाइं पंचमस्सणं अभिवड्ढिय संवच्छरस्स छवीसाइं पव्वाइं सपुव्वावरेणं जुगे चउवीसाइं अधिगाइं पव्वसयं भवति त्ति माख्खायं।

सांवत्सरिके युगं चतुर्विशत्यधिकं पर्वशतं भवती-
त्याख्यातं सर्वैरपि तीर्थकृद्भिर्मया चेति ।

भावार्थ—अब युग के विषे सर्व संख्या से जितने पक्ष होते हैं उनको बताने की इच्छा से सूत्रकार श्रीगणधर महाराज सर्व- वर्ष में पक्षों की संख्या बतलाते हैं । युग में प्रथम चन्द्रसंवत्सर के २४ पक्ष होते हैं, क्योंकि १२ मास का चन्द्रसंवत्सर होता है, एक एक मास में दो दो पक्ष होते हैं । उस कारण से सर्व संख्या करके चन्द्रवर्ष में २४ पक्ष होते हैं । पुनः दूसरे चन्द्रसंवत्सर के २४ पक्ष होते हैं और तीसरे अभिवर्द्धित संवत्सर के २६ पक्ष होते हैं, क्योंकि उस अभिवर्द्धित वर्ष के १३ मास होते हैं । चतुर्थ चन्द्रसंवत्सर के २४ पक्ष होते हैं, पांचवें अभिवर्द्धित वर्ष के २६ पक्ष होते हैं । इसका कारण हम ऊपर बता चुके हैं कि अभिवर्द्धित वर्ष के १३ मास होते हैं । इसी प्रकार उपर्युक्त पूर्वापर गणित मिलाने से पाँच वर्ष का एक युग होता है । उस युग में १२४ पक्ष होते हैं, ऐसा सब तीर्थकरों ने कहा है और मैं भी कहता हूँ ।

प्रियबंधु ! उपर्युक्त पाठ के अनुसार चन्द्रवर्ष में १२ मास २४ पक्ष संयुक्त और अभिवर्द्धित वर्ष में १३ मास २६ पक्ष संयुक्त अब्भुट्ठिया खमाना, यही पक्ष सर्वज्ञ वचनों से संमत है ।

और भी इक विचार से देखिये कि आप लोग अधिक मास के २ पाक्षिक प्रतिक्रमण में तीन तीन बार अब्भुट्ठिया एक एक पक्ष पन्द्रह पन्द्रह रात्रिदिन का अपने मुख से उच्चारण पूर्वक खमाकर गुरु आदि ८४ लक्ष जीवायोनियों के जीवों को खमाते हैं और आशातना तथा पापादि का मिथ्या दुष्कृत देते हैं । अब आप ही अपने मन से विचारिये कि आपने अधिकमास में २ पाक्षिक प्रतिक्रमण किये । उन दोनों पक्षों का १ मास हुआ और

रात्रि का पक्ष होता है तो भी १५ दिन रात्रि बोलते हैं सो तो "गोयमा ! एगमेगस्स पक्खस्स पन्नरस्स दिवसा पन्नता इत्यादि" श्रीजंबुद्वीपप्रज्ञप्ति सूर्यप्रज्ञप्ति सूत्रवचन से संमत है तथा लौकिक टिप्पने में किसी पक्ष में एक या दो तिथि घट जाने से १३ या १४ दिनरात्रि होती है और किसी पक्ष में एक तिथि अधिक होने से १६ दिनरात्रि होती है। इससे अभिवर्द्धित वर्ष के १३ मास २६ पक्ष के १२ मास २४ पक्ष इत्यादि नहीं हो सकते हैं। इसी तरह १०० दिनके ७० दिन या ८० दिनके ५० दिन कदापि नहीं हो सकते हैं। देखिये, श्रावण वा भाद्रपदमास की वृद्धि होने पर आपने आषाढ़चतुर्मासी प्रतिक्रमण के बाद ५ पाक्षिक प्रतिक्रमण अवश्य किये। उनमें एक एक पक्ष के पन्द्रह पन्द्रह रात्रिदिन बोले हैं, तो इस हिसाब से पाँच पक्ष के ७५ दिन हुए। उसके अनंतर आप पाँचवें दिन सांवत्सरिक प्रतिक्रमण पर्युषण करते हैं। इस लिये कुल ८० दिन आपही के मुख से सिद्ध हो चुके, तथापि अपने ही मुख से आप असत्य बोलते हैं कि हम तो ५० दिने पर्युषण करने की शास्त्र की आज्ञा पालन करते हैं। छिः छिः छिः ! इस प्रकार कपटयुक्त मिथ्याभाषण साधु अथवा श्रावकों के लिये इस भव तथा परभव में सर्वथा हानिकारक है। और भी देखिये कि सांवत्सरिक प्रतिक्रमण के अनन्तर आप लोगों ने १० वें दिन भाद्रपद सुदी चतुर्दशी को पाक्षिक प्रतिक्रमण किया, उसके अनंतर आश्विन या कार्तिक मास की वृद्धि होने पर ६ पाक्षिक प्रतिक्रमण आप लोगों ने किये, उसमें एक एक पक्ष के पन्द्रह पन्द्रह रात्रिदिन का अब्भुट्ठिया आपने खमाया। इस हिसाब से आपही के मुख से १०० दिन स्पष्ट सिद्ध हो चुके। याने १०० दिने कार्तिक चतुर्मासी कृत्य करते हो तथापि ७० दिने चतुर्मासी प्रतिक्रमण विहार आदि कृत्य करते हैं। यह आप लोगों का कथन

मास की पूर्णिमा को तीन पैर और आषाढ़ मास की पूर्णिमा को दो पैर जितनी जानु छाया जब हो तब पौरसी हो) यह ६ मास उत्तरायण तथा ६ मास दक्षिणायन (सूर्यचारेपि) सूर्य के चलने में भी अधिकमास गिनती में नहीं यह मंतव्य आपके उपाध्यायों ने व्यर्थ दिखलाया है। क्योंकि ऊपर में श्रावण से पौष तक ६ मास तथा माघ से आषाढ़ तक ६ मास, यह चंद्रसंवत्सर संबंधी १२ मासों की पौरसी की छाया दिखलाई है, इससे अधिकमास गिनती में नहीं, अथवा अधिकमास में सूर्यचार से पौरसी की छाया कमती वेसी न हो । ये दोनों बातें नहीं हो सकती हैं । क्योंकि आषाढ़मास की पूर्णिमा को दो पैर जानु छाया रहते पौरसी हो आगे और साढ़े सात साढ़े सात दिन रात्रि होने से एक एक अंगुल अधिक छाया रहने से पौरसी होती है तो जैनटिप्पने के अनुसार दूसरा आषाढ़ अधिकमास होता है। उस मास में भी अन्य मासों की तरह साढ़े सात साढ़े सात दिनरात्रि होने से एक एक अंगुल छाया अधिक और दूसरे पौष में साढ़े सात साढ़े सात दिन रात्रि होने से एक एक अंगुल छाया कमती होते पौरसी माननी पड़ेगी। इस विषय में आप अन्यथा प्रकार से समाधान नहीं कर सकते हैं। और अधिक मास गिनती में नहीं, यह तो असत्य प्रलाप है । क्योंकि श्रीसूर्यप्रज्ञप्ति चंद्रप्रज्ञप्ति सूत्र की टीका में लिखा है कि—

कथमधिकमाससंभवो येनाऽभिवर्द्धितसंवत्सर उपजायते कियता वा कालेन संभवतीति उच्यते इह युगं चंद्राऽभिवर्द्धितरूपपंचसंवत्सरात्मकं सूर्यसंवत्सराऽपेक्षया परिभाव्यमानमऽन्यूनाऽतिरिक्तानि पंच वर्षाणि भवंति सूर्यमासश्च सार्द्धत्रिंश-

सूर्यचार से सूर्यमास ६० नहीं होते हैं, किन्तु एकयुग में दो अधिकमास गिनती में नहीं ऐसा मानने से ५८ मास गिनती में रहते हैं। और शास्त्रकारों ने तो एक युग की गिनती में सूर्यचार से सूर्यमास ६० उनके चंद्रमास ६२ माने हैं। श्रीसूर्यप्रज्ञप्ति चंद्रप्रज्ञप्तिसूत्र की टीका में लिखा है कि—

सूर्य्यसंवत्सरसत्कत्रिंशन्मासाऽतिक्रमे एकोऽधिकमासो युगे च सूर्यमासाः षष्ठिस्ततो भूयोऽपि सूर्यसंवत्सरसत्कत्रिंशन्मासाऽतिक्रमे द्वितीयोऽधिकमासो भवति।

भावार्थ—सूर्यसंवत्सर संबंधी ३० मास बीतने पर ३१ वाँ एक चंद्रमास अधिक हो एक युग में सूर्यचार से सूर्यमास ६० होते हैं, इसी लिये फिर भी सूर्यसंवत्सर संबंधी ३० मास बीतने पर ६२ वाँ दूसरा चंद्रमास अधिक होता है। श्रीचंद्रप्रज्ञप्ति सूर्यप्रज्ञप्ति सूत्र की टीकाओं में लिखा है कि—

यस्मिन् संवत्सरे अधिकमासः संभवेत् त्रयोदश चंद्रमासा भवंति सोऽभिवर्द्धितसंवत्सरः उक्तं च तेरसय चंदमासा वासो अभिवड्ढिओ य नायव्वो।

अर्थ—जिस संवत्सर में अधिकमास हो उस वर्ष में १३ मास होते हैं, वह अभिवर्द्धित संवत्सर है। कहा है कि एक पूर्णिमा का १ चंद्रमास, ऐसे १३ चंद्रमास वाला अभिवर्द्धितवर्ष जानना। और श्रीसूर्यप्रज्ञप्ति चंद्रप्रज्ञप्ति सूत्र में भी लिखा है कि—"गोयमा अभिवड्ढिय संवच्छरस्स छवीसाइं पव्वाइं।" यह श्रीतीर्थंकर गणधर महाराजों ने अधिकमास को गिनती में लेके अभिवर्द्धित

कृत्ययुक्त पर्युपण करने की आज्ञा लिखी है । श्रीनिशीथचूर्णिकार जिनदासमहत्तराचार्य महाराज ने भी उपर्युक्त पाठ में लिखा है कि-

जम्हा अभिवड्ढियवरिसे गिम्हे चेव सो मासो अतिक्कंतो तम्हा वीसदिणा ।

अर्थ—जिस कारण से अभिवर्द्धित वर्ष में जैनटिप्पने के अनुसार पौष या आषाढ़ एक अधिकमास निश्चय ग्रीष्मऋतु में अतिक्रांत हो जाता है उसी कारण से जैनटिप्पने के अनुसार श्रीनिर्युक्तिकार महाराज ने अभिवर्द्धित वर्ष में आषाढ़ पूर्णिमा से २० वें दिन श्रावणसुदी ५ को गृहिज्ञात सांवत्सरिक प्रतिक्रमणादि कृत्ययुक्त पर्युषण करने लिखे हैं । तपगच्छ के श्रीधर्मसागरजी श्रीजयविजयजी श्रीविनयविजयजी ने स्वविरचित कल्पसूत्र की टीका के उपर्युक्त पाठों में लिखा है कि—

अभिवर्द्धितवर्षे चातुर्मासिक दिनादारभ्य २० विंशत्यादिनैः (पर्युषितव्यं) इत्यादि तत् जैन टिप्पनकाऽनुसारेण यत स्तत्र युगमध्ये पौषो युगांते चाषाढ एव वर्द्धते नाऽन्ये मासा स्तट्टिप्पनकं तु अधुना सम्यग् न ज्ञायते अतः ५० पंचाशतैव दिनैः पर्युषणा युक्तेति वृद्धाः ।

भावार्थ—अभिवर्द्धित वर्ष में आषाढ़ पूर्णिमा से २० वें दिन श्रावणसुदी ५ को गृहिज्ञात सांवत्सरिक प्रतिक्रमणादि कृत्ययुक्त पर्युषण पर्व करना यह युग के मध्य पौष और युग के अंत में आषाढ़मास की वृद्धिवाले जैनटिप्पने के अनुसार है । उन जैनटिप्पनों का सम्यग्ज्ञान इस काल में नहीं है, इसीलिये श्रावणादि मास की वृद्धि

मास में और वर्षा चतुर्मासी में ज्योतिषशास्त्रकारों ने निषेध किये हैं। अस्तु, आपके उक्त उपाध्यायों ने लिखा है कि—

"आस्तामऽन्योऽभिवर्द्धितो भाद्रपदवृद्धौ प्रथमो भाद्रपदोऽपि अप्रमाणमेव।"

याने अन्य मास बढ़ाहुआ रहने दो, दूसरा भाद्रपद अधिकमास होने पर स्वाभाविक प्रथम भाद्रपद मास भी गिनती में नहीं। यह अनेक आगम-वचनों को बाधाकारी, अत्यन्त-विरुद्ध, महामिथ्या वचन कौन सत्य मानेगा ? क्योंकि जैनआगम श्रीसूर्यप्रज्ञप्ति आदि सूत्र तथा टीका चूर्णि आदि ग्रंथों के उपर्युक्त पाठों में अर्थतः श्रीतीर्थंकर महाराजों ने, सूत्रतः श्रीगणधर महाराजों ने और निर्युक्ति चूर्णि टीकाकार आदि महाराजों ने अधिक मास को गिनती में माना है। वास्ते स्वाभाविक प्रथमभाद्रपद मास और दूसरा भाद्रपद अधिक मास गिनती में अवश्य प्रमाण किया जायगा तथा स्वाभाविक प्रथम भाद्रपद मास की सुदी ४ को ५० दिने श्रीपर्युषण पर्व करने संबंधी उपर्युक्त शास्त्रपाठों की आज्ञा का भंग नहीं किया जायगा। आपके उक्त उपाध्यायों ने लिखा है कि—

"यथा चतुर्दशीवृद्धौ प्रथमां चतुर्दशीमवगणय्य द्वितीयायां चतुर्दश्यां पाक्षिककृत्यं क्रियते तथाऽत्राऽपि।"

याने जैसे चतुर्दशी पर्वतिथि की वृद्धि होने पर सूर्योदययुक्त ६० घड़ी की संपूर्ण पहिली चतुर्दशी पर्वतिथि को पापकृत्यों से विराम के अर्थात् पाक्षिक प्रतिक्रमण पौषधादि धर्मकृत्यों को निरर्थ कर दूसरी तिथि चतुर्दशी को पाक्षिक प्रतिक्रमणादि कृत्य करते हैं वैसे यहाँ पर भी स्वाभाविक प्रथम भाद्रपद सुदी ४

आप गिनती में प्रमाण मानते हैं या नहीं ? तथा गुजराती प्रथम भाद्रपद मास के दो पाक्षिक प्रतिक्रमण में १५-१५ रात्रि दिन गिनती में बतलाते हो तो फिर दूसरे भाद्रपद अधिकमास में ८० दिने पर्युषण करते हुए इन उपर्युक्त पंद्रह दूने ३० रात्रि दिनों को गिनती में नहीं बतलाते हो, यह प्रत्यक्ष मिथ्या प्रलाप है या नहीं? और चतुर्दशी की वृद्धि होने पर सूर्योदययुक्त ६० घड़ी की संपूर्ण प्रथम चतुर्दशी पर्वतिथि को पाक्षिक प्रतिक्रमण पौषध आदि धर्मकृत्य निषेध कर पापकृत्यों से उस पर्वतिथि को आप लोग विराधना बतलाते हो और दूसरी को पाक्षिक कृत्य करते हो, तथा इस दृष्टांत से प्रथम भाद्रपद मास में ५० दिने पर्युषण करना निषेध कर दूसरे भाद्रपद अधिकमास में आगम-विरुद्ध ८० दिने पर्युषण करने बतलाते हो, तो जैसे अमावास्या या पूर्णिमा की वृद्धि होने पर प्रथम अमावास्या या प्रथम पूर्णिमा में आप लोग पाक्षिक प्रतिक्रमणादि कृत्य करते हैं वैसे स्वाभाविक प्रथम भाद्रपद मास में ५० दिने पर्युषण सिद्धांत-संमत क्यों नहीं करते हैं ?

श्रीज्योतिष्करंड पयन्ना की टीका में तथा श्रीसूर्यप्रज्ञप्ति और चंद्रप्रज्ञप्ति सूत्र की टीका में लिखा है कि—

अहोरात्रस्य ६२ द्वाषष्टिभागीकृतस्य सत्का ये ६१ एकषष्टिभागास्तावत् प्रमाणा तिथिः ।

अर्थ—दिनरात्रि के ६२ भाग करके, उनमें से ६१ भाग प्रमाण तिथि श्रीतीर्थंकर गणधर आचार्य महाराजों ने प्रमाण मानी है। वास्ते चतुर्दशी की वृद्धि होने से सूर्योदययुक्त ६० घड़ी की सम्पूर्ण प्रथम चतुर्दशी पर्वतिथि को पाक्षिक प्रतिक्रमण पौषधादि धर्मकृत्य निषेध करके पापकृत्यों से विराधना

में विद्धाणी हुई सूर्योदय करके युक्त पूर्वतिथि अल्प चतुर्दशी भी मान्य होती है। और (न हु पुव्वतिहिविद्धा) याने पूर्वतिथि से विद्धाणी हुई सूर्योदयरहित तिथि पर वह प्रमाण नहीं की जाती है। जैसे कि सूर्योदय से २ घड़ी त्रयोदशी है उसके बाद चतुर्दशी होवे तो सूर्योदयरहित वह चतुर्दशी प्रमाण नहीं की जायगी, किंतु सूर्योदय करके युक्त पूर्व तिथि २ घड़ी की अल्प त्रयोदशी ही मानी जायगी। तपगच्छनायक श्रीरत्नशेखरसूरिजी ने भी श्राद्धविधि ग्रंथ में लिखा है कि—

पारासरस्मृत्यादावपि, आदित्योदयवेलायां।
या स्तोकापि तिथिर्भवेत्, सा संपूर्णेति मंतव्या,
प्रभूता नोदयं विना ॥ १ ॥

अर्थ—पारासरस्मृति आदि ग्रंथों में भी लिखा है कि सूर्योदय के समय में थोड़ी सी भी जो तिथि हो तो वही तिथि संपूर्ण मान लेनी चाहिये और सूर्योदय के समय जो तिथि न हो और पश्चात् बहुत हो तो सूर्योदयरहित वह तिथि नहीं मानी जाती है। श्रीदशाश्रुतस्कंध भाष्यकार महाराज ने भी लिखा है कि—

चाउम्मासिय वरिसे, पक्खियपंचट्ठमीसु नायव्वा।
ताओ तिहिओ जासिं, उदेइ सूरो न अन्नाओ ॥ १ ॥

अर्थ—चातुर्मासिक, सांवत्सरिक, पाक्षिक और पंचमी अष्टमी इत्यादि पर्वदिनों में वही तिथियाँ मानने योग्य जानना चाहिये, जिन चातुर्मासिक आदि पर्वतिथियों में सूर्य उदय हुआ हो। सूर्योदय रहित अन्य तिथियाँ मान्य नहीं। याने सूर्योदय के समय में चातुर्मासिक, सांवत्सरिक, पाक्षिक आदि पर्वतिथियाँ जो हों उन्हीं तिथियों में चातुर्मासिक, सांवत्सरिक, पाक्षिकादि प्रतिक्रमण पौषधादि धर्मकृत्य करने चाहिये, यह शास्त्रकारों की आज्ञा है। सो चतुर्दशी या अमा-

या चातुर्मासिक प्रतिक्रमण पौषधादि धर्मकृत्य निषेध कर पाप-कृत्यों से विराधने हैं, तथा चतुर्दशी की वृद्धि होने से सूर्योदय-युक्त ६० घड़ी की संपूर्ण स्वाभाविक पहिली चतुर्दशी पर्व-तिथि को पाक्षिक या चातुर्मासिक प्रतिक्रमण पौषधादि धर्म-कृत्य निषेध कर पाप-कृत्यों से विराधने हैं। इसी तरह स्वाभाविक पहिली दूज, पहिली पंचमी आदि तिथियों को भी विराधते हैं, इससे दोष के भागी अवश्य होते हैं। क्योंकि श्रीदशाश्रुतस्कंध-भाष्यकार महाराज ने लिखा है कि—

उदयंमि या तिही सा, पमाण मियरा उ-कीरमाणाणं । आणा भंगण वत्था, मिच्छत्त विराहणा पावं ॥ १ ॥

अर्थ—सूर्योदय में जो पर्वतिथि हो सो मानना प्रमाण है उसको (इयरा) अन्य अपर्वतिथि करनेवालों को जैसे कि दो दूज हो तो दो एकम, दो पंचमी हो तो दो चौथ, दो अष्टमी हो तो दो सप्तमी, दो एकादशी हो तो दो दशमी, दो चतुर्दशी या दो अमावास्या वा दो पूर्णिमा हो तो दो तेरस अपर्वतिथियाँ करनेवालों को आज्ञा भंग अवस्था १ मिथ्यात्व २ और पर्व-तिथि पापकृत्यों से विराधने से पाप ३ ये तीन दोष लगते हैं। श्राद्धविधि ग्रंथ में तपगच्छ के श्रीरत्नशेखरसूरिजी ने लिखा है कि—

क्षये पूर्वा तिथिःकार्या, वृद्धौ कार्या तथोत्तरा ।
श्रीमहावीर निर्वाणे, भव्यै लोकानुगैरिह ॥ १ ॥

भावार्थ—श्रीमहावीर निर्वाण कल्याणक संबंधी कार्तिक, अमावास्या तिथि का क्षय हो तो लोकानुवर्ती भव्य जीवों को

कल्याणक तपस्या पर्वतिथि चतुर्दशी का करना, और उस अमावास्या तिथि की वृद्धि हो तो उत्तरवाली दूसरी अमावास्या को करना, इस कथन से कोई भी चतुर्दशी वा अमावास्या वा पूर्णिमा का क्षय हो तो नैयमितिक में पाक्षिक या चातुर्मासिक प्रतिक्रमणादि कृत्य करने सिद्ध नहीं हो सकते हैं। और चतुर्दशी वा अमावास्या वा पूर्णिमा आदि पर्वतिथि की वृद्धि हो तो ६० घड़ी की संपूर्ण स्वाभाविक पहिली पर्वतिथि का पापकृत्यों से विराधना और धर्मकृत्य [illegible] नहीं बचा सकता है। महाशय [illegible] श्रावक चतुर्दशी पर्वतिथि को पापकृत्य में [illegible] हैं और पहिली अमावास्या तिथि में पाक्षिक प्रतिक्रमणादि [illegible] करते हैं तथा पहिली पूर्णिमा में चातुर्मासिक व पाक्षिक प्रतिक्रमण करते हैं, इसी तरह स्वाभाविक [illegible] दिन चातुर्मासिक प्रतिक्रमणादि [illegible] मास में ५० दिने पर्युषणा [illegible] आज्ञा के आराधक क्या नहीं [illegible] ध्यायोंने लिखा है कि--

"यानि हि दिनप्रतिबद्धानि देवपूजामुनिदाना ऽऽवश्यकादि कृत्यानि तानि न प्रतिदिनवर्धनीयान्येव इत्यादि ।

याने जो दिन प्रतिबद्ध देवपूजा मुनिदान प्रतिक्रमणादि कृत्य वह प्रतिदिन समय पर अवश्य करने चाहिये, तो आपके उक्त उपाध्यायों ने यह क्यों लिखा है कि—

तद्द्वयसंभवे कस्मिन् क्रियते इति विचारे प्रथमं अवगणय्य द्वितीये क्रियते ।

भवार्थ—जो ५० दिने भाद्रपद मास प्रतिबद्ध पर्युषण के प्रतिक्रमणादि कृत्य और ७० दिने कार्त्तिकमास प्रतिबद्ध कार्त्तिक चतुर्मासी के प्रतिक्रमणादि कृत्य करने के हैं वे तो दो भाद्रपद और दो कार्त्तिक होने पर किस मास में कितने दिने करने, इस विचार में स्वाभाविक प्रथम भाद्रपद मास को और स्वाविक प्रथम कार्त्तिक मास को गिनती में नहीं मानकर दूसरे भाद्रपद अधिक-मास में ८० दिने पर्युषण पर्व के प्रतिक्रमणादि कृत्य करते हैं और १०० दिने दूसरे कार्त्तिक अधिकमास में चातुर्मासिक प्रतिक्रमणादि कृत्य करते हैं, यह आपके उक्त उपाध्यायों ने कौन से सूत्रादि पाठों के आधार से अपना मंतव्य दिखलाया है, याने दूसरे भाद्रपद अधिकमास में ८० दिने सांवत्सरिक प्रतिक्रमणादि कृत्य करने तथा १०० दिने दूसरे कार्त्तिक अधिक मास में चातुर्मासिक प्रतिक्रमणादि कृत्य करने, यदि सूत्र-निर्युक्ति-चूर्णि-टीकापाठों से संमत (संगत) हो तो उन सिद्धांत पाठों को बतलाइये, अन्यथा उपर्युक्त सूत्र-निर्युक्ति-चूर्णि टीकापाठों से विरुद्ध आपका यह उक्त कपोलकल्पित मंतव्य सत्य नहीं माना जायगा । आपके उक्त उपाध्यायों ने लिखा है कि—

पश्य अचेतना वनस्पतयोऽधिकमासं नांगी-कुर्वते येनाऽधिकमासं प्रथमं परित्यज्य द्वितीये एव मासे पुष्प्यंति यदुक्तं आवश्यक निर्युक्तौ—जइ फुल्ला कणिआरया, चूयग अहिमासयंमि घुट्टंमि ।

आते हैं। इससे ८० दिने वा दूसरे भाद्रपद अधिकमास में ८० दिने पर्युषणा करने कदापि सिद्ध नहीं हो सकते हैं। क्योंकि श्रीदशवैकालिकसूत्र की निर्युक्ति तथा बृहद् टीका में लिखा है कि—

अइरित्त अहिगमासा, अहिगा संवच्छरा य कालंमि। टीका–अतिरिक्ता उचितकालात् समधिका अधिकमासका प्रतीताः अधिकाः संवत्सराश्च षष्ठयऽब्दाद्यऽपेक्षया कालइति कालचूड़ा।

अर्थ—इन उपर्युक्त निर्युक्ति तथा टीकापाठों के वाक्यों के अनुकूल प्रथम भाद्रपद मास उचित काल में है इसलिये प्रथम भाद्रपद मास अधिक नहीं हो सकता है, किंतु १२ मासों का उचित काल के ऊपर अधिक १३ वाँ दूसरा भाद्रपद मास अधिक होता है और ६० वर्ष आदि की अपेक्षा से अधिक संवत्सर होते हैं। वास्ते दूसरा भाद्रपद अधिकमास में ८० दिने उपर्युक्त सिद्धांतपाठों से विरुद्ध पर्युषणा करके अधम कणोरवृत्त की तरह तपगच्छवालों को फूलना उचित नहीं हैं, किंतु उपर्युक्त सिद्धांतपाठों के अनुकूल ५० दिने प्रथम भाद्रपद मास में पर्युषणा करना संगत (युक्त) है। क्योंकि उपर्युक्त श्रीपर्युषणा कल्प सूत्र पाठ में लिखा है कि पर्युषणापर्व किये विना ५० वें दिन की रात्रि को उल्लंघनी कल्पती नहीं है, यह साफ मना लिखा है। वास्ते ८० दिने वा दूसरे भाद्रपद अधिकमास में ८० दिने सांवत्सरिक प्रतिक्रमण केशलोचादि कृत्यविशिष्ट पर्युषणा करना सर्वथा असंगत (अयुक्त) है, आपके वक्त उपाध्यायों ने लिखा है कि—

अभिवड्ढियंमि वीसा इति वचनं गृहिज्ञात मात्राऽपेक्षया, इत्यादि।

अर्थात्-(अभिवड्ढियंमि वीसा) यह निर्युक्तिकार श्रीभद्रबाहुस्वामीका वचन गृहिज्ञातमात्रा पर्युषणा की अपेक्षा से है, यह आपके उक्त उपाध्यायों ने श्रीनिर्युक्तिकार महाराज के वचन से विरुद्ध प्ररूपणा लिखी है सो [illegible] मान्य मानेगा ? क्योंकि निर्युक्तिकार श्रीभद्रबाहुस्वामी ने चन्द्रवर्ष में ५० दिन और अभिवर्द्धित वर्ष में जैनटिप्पने के अनुसार २० दिन गृहिज्ञात पर्युषणा लिखे हैं, गृहिज्ञातमात्रा नहीं । देखिये निर्युक्ति का पाठ । यथा—

इत्थय अणभिग्गहियं । २० वीसतिरायं ५० सवीसइमासं ॥ तेण परमभिग्गहियं । गिहिणायं करिश्रोजाव ॥ १ ॥

असिवाइ कारणेहिं अहवा वासं ण सुट्ठु आरद्धं ॥ अभिवड्ढियंमि २० वीसा इयरेसु ५० सवीसइ १ मासो ॥ २ ॥

अर्थ—यहां पर अनभिग्रहित [illegible] आदि पर्वदिनों में अनभिग्रहीत [अनिश्चित] यानि गृहिअज्ञात पर्युषणा किये जाते हैं सो अभिवर्द्धितवर्ष में आषाढ़ चौमासी से २० दिन पर्यंत हैं और चन्द्रवर्ष में ५० दिन पर्यंत है । उक्त दिन बीत जाने के बाद याने अभिवर्द्धित वर्ष में बीसवें दिन श्रावण सुदी ५ मी को और चंद्रवर्ष में पचासवें दिन भाद्रपद सुदी ५ मी को अभिगृहीत [निश्चित] गृहिज्ञात पर्युषणापर्व अवश्य करने का है और उसके बाद यावत् कार्तिक मास पर्यंत याने कार्तिक पूर्णिमा तक साधु उस क्षेत्र में अवश्य स्थिति करके रहे । याने अभिवर्द्धित वर्ष में २० दिने श्रावण सुदी ५ मी को गृहिज्ञात पर्युषणापर्व ——

करके पश्चात् कार्त्तिक पूर्णिमा पर्यंत १०० दिन चतुर्मासी के शेष स्थिति करके अवश्य रहे। और चंद्रवर्ष में ५० दिने भाद्रव सुदी ५ मी को गृहिज्ञात पर्युषणपर्व करके पश्चात् कार्त्तिक पूर्णिमा पर्यंत ७० दिन चतुर्मासी के शेष स्थिति करके अवश्य रहे।

श्रीजिनदास महत्तराचार्य महाराज ने श्रीनिशीथचूर्णि में [अभिवड्ढियंमि वीसा] इस निर्युक्ति वचन की व्याख्या लिखी है कि—अभिवड्ढियवरिसे २० वीसतिराते गते गिहिणातं करेंति " इत्यादि तथा श्रीकल्पसूत्रटीकाओं में— " अभिवर्द्धितवर्षे दिनविंशत्या पर्युषितव्यमित्युच्यते तत्सिद्धांतटिप्पनानुसारेण।" इत्यादि श्रीवृद्धपूर्वाचार्य महाराजों ने जैनसिद्धांतटिप्पने के अनुसार अभिवर्द्धित वर्ष में आषाढ़ चतुर्मासी से २० दिने श्रावण शुक्ल ५ मी को गृहिज्ञात याने सांवत्सरिक कृत्ययुक्त श्रीपर्युषणपर्व करने लिखे हैं और जैनटिप्पने के अभाव से लौकिक टिप्पने के अनुसार ५० दिने दूसरे श्रावण शुक्ल ४ को या प्रथम भाद्रवद शुक्ल ४ को ५० दिने श्रीपर्युषणपर्व करना संगत बताया है सो आपके उक्त उपाध्यायों ने अभिवर्द्धित वर्ष में २० दिने गृहिज्ञात पर्युषणा को गृहिज्ञातमात्रा लिख कर उसके स्थान में ८० दिने था दूसरे भाद्रवद अधिकमास में ८० दिने पर्युषणा करने लिखे हैं, सो उपर्युक्त सूत्र-निर्युक्ति-चूर्णि-टीका आदि पाठों से मस्तक विरुद्ध हैं। वास्ते संगत नहीं माने जायेंगे। फिर आपके उक्त उपाध्यायों ने लिखा है कि—

आसाढपुण्णिमाए पज्जोसविंति एस उस्सग्गो सेसकालं पज्जोसविंताणं अववाओत्ति, श्रीनिशीथचूर्णि-दशमोद्देशक-वचनादाऽऽषाढपूर्णिमायामेव लोचादिकृत्यविशिष्टा कर्त्तव्या स्यात्।

अर्थात् आषाढ़ पूर्णिमा को (गृहिज्ञात याने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से स्थापना) पर्युषणा साधु करे यह उत्सर्गमार्ग है, शेष कालको पर्युषणा करनेवालों का अपवादमार्ग है तथा श्रीनिशीथचूर्णि के इस पाठ के वचन से आषाढ़ पूर्णिमा को लोचादि कृत्यविशिष्ट पर्युषणा करने योग्य होगा। इस वचन से ८० दिने व दूसरे भाद्रपद अधिकमास में ८० दिने सांवत्सरिक प्रतिक्रमण केशलुंचनादि कृत्यविशिष्ट पर्युषणा करने योग्य कदापि सिद्ध नहीं हो सकती है। क्योंकि आपने उक्त उस पाठ में श्रीनिशीथचूर्णि का उपर्युक्त पाठ अधूरा लिखा है। देखिये श्रीजिनदास महत्तराचार्य महाराज ने श्रीनिशीथचूर्णि में इस तरह उक्त पाठ लिखा है कि

आसाढपुण्णिमाए पज्जोसवेंति एस उस्सग्गो सेसकालं पज्जोसवेत्ताणं सव्वो अववातो अववाते-वि २० सवीसतिरात १ मासतो परेण अतिक्कमेउं ण वट्टति २० सवीसतिराते १ मासे पुण्णे जति वासखेत्तं ण लब्भति तो रुक्खहेट्ठेवि पज्जोसवेयव्वं ।

भावार्थ—आषाढ़ पूर्णिमा को [गृहिज्ञात याने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से स्थापना] पर्युषणा साधु करे, यह उत्सर्ग मार्ग है। रहने योग्य क्षेत्र नहीं मिलने से पाँच पाँच दिनों की वृद्धि से शेष कालको पर्युषणा करनेवाले साधुओं का सब अपवाद मार्ग है, अपवादमार्ग में भी २० रात्रिसहित १ मास से पर अतिक्रमण करना नहीं वर्त्तता है याने ५० वें दिन की रात्रि को सांवत्सरिक प्रतिक्रमण केशलुंचनादि कृत्ययुक्त पर्युषणा किये बिना उल्लंघनी नहीं कल्पती है। २० रात्रिसहित १ मास अर्थात् ५० दिन पूर्ण

हो गये हों यदि साधु को रहने योग्य क्षेत्र नहीं मिला तो वृक्ष के नीचे भी रह कर ५० वें दिन पर्युषण अवश्य करना किंतु इस आज्ञा का उल्लंघन करके ८० दिने वा दूसरे भाद्रव अधिकमास में ८० दिने पर्युषणपर्व उपर्युक्त सूत्र-निर्युक्ति-निशीथचूर्णि-आदि आगम पाठों से विरुद्ध करने संमत नहीं है। क्योंकि शास्त्रकारों ने मना लिखी है सो मानना अवश्य उचित है। इत्यलं प्रसंगेन।

। इति श्रीपर्युषण मीमांसा समाप्ता।

श्रीहर्षमुनिजी आदि मुनियों को विदित हो कि आप लोगों ने उपर्युक्त सिद्धांत पाठों से विरुद्ध ८० दिने पर्युषण आदि तपगच्छ की समाचारी का पक्षपात के कदाग्रह से उक्त सिद्धांत पाठों से संमत ५० दिने पर्युषण आदि खरतरगच्छ की समाचारी करने के लिये गुरु श्रीमोहनलालजी महाराज की आज्ञाका भंग किया और हम लोगों ने उक्त गुरु महाराज की आज्ञा से ५० दिने पर्युषण आदि शास्त्र संमत अपने खरतरगच्छ की समाचारी अंगीकार करी यह गुरु श्रीमोहनलालजी महाराज ने अपने संघाड़े में भेद पाड़ा इसी कारण से हर्षमुनिजी ने श्रीमोहनचरित्र के पृष्ठ ४१४ से ४२५ तक आ मारो गच्छ छे इत्यादि आग्रह थी जे संघमां भेद पाडे छे ते साधु नहीं बीजा गच्छमां जाय ते साधु नहीं (आत्मीयगच्छ) पोताना गच्छनी पुष्टी करनेवालो नरक में जाय इत्यादि भेदपाड़नेवाले गुरुमहाराज की तथा हम लोगों की निंदारूप अनेक आक्षेप कुटिलता से छपवाये हैं और उसवख्त शास्त्रसंमत खरतरगच्छ की समाचारी करने के लिये गुरु महाराज की आज्ञा का भंग करने से हर्षमुनिजी वगैरः पर गुरु महाराज श्रीमोहनलालजी कुपित होने से हर्षमुनिजी विगैरः सर्व सूरतगाम में त्रिशंकुकी तरह आचरण करते होंगे इसी लिये हर्षमुनिजी ने श्रीमोहनचरित्र के पृष्ठ ४२१ में छपवाया है कि—

हो गये हों यदि साधु को रहने योग्य क्षेत्र नहीं मिला तो वृक्ष के नीचे भी रह कर ५० वें दिन पर्युषणा अवश्य करना किंतु इस आज्ञा का उल्लंघन करके ८० दिने वा दूसरे भाद्रपद अधिकमास में ८० दिने पर्युषणापर्व उपर्युक्त सूत्र-निर्युक्ति-निशीथचूर्णि-आदि आगम पाठों से विरुद्ध करने संगत नहीं है। क्योंकि शास्त्रकारों ने मना लिखी है सो मानना अवश्य उचित है। इत्यलं प्रसंगेन।

। इति श्रीपर्युषणा मीमांसा समाप्ता।

श्रीहर्षमुनिजी आदि मुनियों को विदित हो कि आप लोगों ने उपर्युक्त सिद्धांत पाठों से विरुद्ध ८० दिने पर्युषणा आदि तपगच्छ की समाचारी का पक्षपात के कदाग्रह से उक्त सिद्धांत पाठों से संमत ५० दिने पर्युषणा आदि खरतरगच्छ की समाचारी करने के लिये गुरु श्रीमोहनलालजी महाराज की आज्ञाका भंग किया और हम लोगों ने उक्त गुरु महाराज की आज्ञा से ५० दिने पर्युषण आदि शास्त्र संमत अपने खरतरगच्छ की समाचारी अंगीकार करी यह गुरु श्रीमोहनलालजी महाराज ने अपने संघाड़े में भेद पाड़ा इसी कारण से हर्षमुनिजी ने श्रीमोहनचरित्र के पृष्ठ ४१४ से ४२५ तक आ मारो गच्छ छे इत्यादि आग्रह थी जे संघमां भेद पाडे छे ते साधु नहीं बीजा गच्छमां जाय ते साधु नहीं (आत्मीयगच्छ) पोताना गच्छनी पुष्टी करनेवालो नरक में जाय इत्यादि भेदपाड़नेवाले गुरुमहाराज की तथा हम लोगों की निंदारूप अनेक आक्षेप कुयुक्तियों से छपवाये हैं और उमरवत शास्त्रसंमत खरतरगच्छ की समाचारी करने के लिये गुरु महाराज की आज्ञा का भंग करने से हर्षमुनिजी वगैरः पर गुरु महाराज श्रीमोहनलालजी कुपित होने से हर्षमुनिजी विगैरः सर्व गुरुभगत में विराकृती तरह आगमन करने होंगे इसी लिये हर्षमुनिजी ने श्रीमोहनचरित्र के पृष्ठ ४२१ में छपाया है कि—

से केशरमुनिजी कठोर गाम में ठहरे थे तो ट्रेन से त्रिशंकु आदि लिखवाना गुरुआज्ञा विरोधियों का कर्त्तव्य क्या बुद्धिमान् नहीं समझ सकते हैं? क्योंकि ३—४ दिन के बाद श्रीमोहनलालजी महाराज का (काल) मृत्यु का तार हर्षमुनिजी ने केशरमुनिजी को दिया और पत्र तथा आदमी भेज के सूरत बुलाकर पास रक्खे, तो "कठोर गाममांज त्रिशंकुनी पेठे" इत्यादि निरर्थक लेख आपका द्वेषभाव और निंदास्वभाव ही विदित करता है। क्योंकि गुरु श्री-मोहनलालजी महाराज की आज्ञा से पन्यास श्रीयशोमुनिजी देवमुनिजी कमलमुनिजी आदि शिष्य प्रशिष्य ६ साधुओं विहार करके भरुच तथा श्रीसिद्धाचलजी महातीर्थ की यात्रा को गये, उस बारे में भी हर्षमुनिजी ने श्रीगौतमगणधर का दृष्टांतपूर्वक शास्त्र-विरुद्ध निंदा छपवाई है कि—"गुरु के अंत समय में शिष्य विहार करे वह समुद्रतीर के कांठे में डूबने जैसा है, उसकी गुरु सेवा बकरी के गलस्तन की तरह निष्फल है, गुरु से श्रेष्ठ तीर्थ कोई नहीं, तीर्थ की सेवा के लिये विहार करना हो तो गुरु के पास रह कर तीर्थ में श्रेष्ठ श्रीगुरुजी की सेवा करने में अधिक लाभ है, पृथ्वी ऊपर श्रीमोहनलालजी महाराज से श्रेष्ठ कोई सुना नहीं, अपने घर में रहे हुए चिंतामणि रत्न को छोड़ के दूसरे रत्न के लिये विकट अटवी में जाने वाले की इस दुनियाँ में हलकाश होय, यही इस को लाभ है, दूसरा लाभ कुच्छ भी नहीं।" इस प्रकार शास्त्र-विरुद्ध तथा श्रीगुरुमहाराज की आज्ञा से विरुद्ध होकर अपनी प्रतिष्ठा के लिये हर्षमुनिजी ने द्वेषभाव से कपोलकल्पित निंदा के अनेक आक्षेप परमोपकारी पन्यास श्रीयशोमुनिजी आदि ६ मुनियों पर कुटिलता से लिखवा कर चरित्र में छपवाये हैं, परन्तु शास्त्र तथा गुरु की जैसी आज्ञा हो वैसा शिष्य प्रशिष्यादि को [illegible] उचित है। वास्ते गुरु के अंत समय में गुरु महाराज की

से वैराग्यमुनिजी कठोर गाम में ठहरे थे तो दिन से त्रिशंकु आदि लिखवाना गुरुआज्ञा विरोधियों का कर्तव्य क्या बुद्धिमान् नहीं समझ सकते हैं ? क्योंकि ३—४ दिन के बाद श्रीमोहनलालजी महाराज का (काल) मृत्यु का तार हर्षमुनिजी ने वैराग्यमुनिजी को दिया और पत्र तथा आदमी भेज के सूरत बुलाकर पास रक्खे, तो "कठोर गाममांज त्रिशंकुनी पेठे" इत्यादि निरर्थक लेख आपका द्वेषभाव और निंदास्वभाव ही विदित करता है । क्योंकि गुरु श्री-मोहनलालजी महाराज की आज्ञा से पन्यास श्रीयशोमुनिजी देवमुनिजी कमलमुनिजी आदि शिष्य प्रशिष्य ६ साधुओं विहार करके भरुच तथा श्रीसिद्धाचलजी महातीर्थ की यात्रा को गये, इस वारे में भी हर्षमुनिजी ने श्रीगौतमगणधर का दृष्टांतपूर्वक शास्त्र-विरुद्ध निंदा छपवाई है कि—"गुरु के अंत समय में शिष्य विहार करे वह समुद्रतीर के कांठे में डूबने जैसा है, उसकी गुरु सेवा बकरी के गलस्तन की तरह निष्फल है, गुरु से श्रेष्ठ तीर्थ कोई नहीं, तीर्थ की सेवा के लिये विहार करना हो तो गुरु के पास रह कर तीर्थ में श्रेष्ठ श्रीगुरुजी की सेवा करने में अधिक लाभ है, पृथ्वी ऊपर श्रीमोहनलालजी महाराज से श्रेष्ठ कोई सुना नहीं, अपने घर में रहे हुए चिंतामणि रत्न को छोड़ के दूसरे रत्न के लिये विकट अटवी में जाने वाले की इस दुनियाँ में हलकाश होय, यही इस को लाभ है, दूसरा लाभ कुच्छ भी नहीं ।" इस प्रकार शास्त्र-विरुद्ध तथा श्रीगुरुमहाराज की आज्ञा से विरुद्ध होकर अपनी प्रतिष्ठा के लिये हर्षमुनिजी ने द्वेषभाव से कपोलकल्पित निंदा के अनेक आक्षेप परमोपकारी पन्यास श्रीयशोमुनिजी आदि ६ मुनियों पर कुटिलता से लिखवा कर चरित्र में छपवाये हैं, परन्तु शास्त्र तथा गुरु की जैसी आज्ञा हो वैसा शिष्य प्रशिष्यादि को वर्त्तना उचित है । वास्ते गुरु के अंत समय में गुरु महाराज की

प्रयास करवा लाग्या, परंतु फलांगाना छोकराने मांकनो पोताक अने मागने नहीं पर्यो वीतर्नी इत लइने मेंडेली गंगल शोभाय तेमनी ते इच्छा निष्फल करी कारणके इत्मांज रात्री वीती गई॥

इत्यादि ब्रह्मचर्य का वर्णन नहीं किन्तु शृंगार रस का वर्णन या कुशील का वर्णन, इससे भी अधिक अधिक निर्लज्जता वाला निंदित छपवाया है, उसकी सूरत में महाराज के प्रवेश के वर्णन में क्या आवश्यकता थी ? नहीं, क्योंकि इस वर्णन से सूरत निवासी श्रावकों की लज्जानेवाली निंदाही साफ मालूम होती है। वास्ते दूसरों की निंदा त्यागकर हर्षमुनिजी को अपनी प्रशंसाही छप-वानी युक्त थी, जैसे कि श्रीमोहनचरित्र के पृष्ठ ३५१ में हर्षमुनि जीने छपवाया है कि—

" षष्ठ्यां श्रीहर्षमुनिराट् शांतो दांतो वशी कृती ।
संन्यासकौशलद्योतिपन्यासास्पदसंस्कृतः ॥

अर्थ—षष्ठीने दिवसे शांत (अंतरिंद्रिय दमन-मनोनिग्रह करनार) दांत (बाह्येंद्रियोनो दमन करनार) तेथीज इंद्रियोने वश राखनार अने कुशल श्रीहर्षमुनिजीने संन्यासमां प्रवीणता सूचक पन्यासपद अपवामां आव्युं ।

इस विषय में हर्षमुनिजी ने अपनी लंबी चौड़ी प्रशंसा लिख-वाकर दिखलाई है परंतु श्रीभगवती सूत्र के योग करानेवाले तथा पन्यासपद देनेवाले परमोपकारी पन्यास श्रीयशोमुनिजी का नाम भी नहीं लिखवाया, और पृष्ठ ३७९ में लिखवाया है कि—

म श्रीडैन महाराजैर्दत्तं चास्मा इदं पदं ।
मान्यमान्यैर्भगवतीसूत्रैर्दत्तमिदं पदं ॥

अर्थ—सारा अंतःकरणवाला श्रीहर्षमुनिजी धर्मथी डरीने सूत्रप्रमाणे यथार्थ अने परिमित बोलेछे अने कोईरीते अमने गमे तेम समज्जावी उड़ावता नथी।

[प्रश्न] सूत्र तथा शास्त्र के बड़े जानकार इसी लिये उपर्युक्त प्रशंसा के योग्य हर्षमुनिजी ने श्रीकल्पसूत्रादि शास्त्रविरुद्ध ८० दिने वा दूसरे भाद्रपद अधिक मास में ८० दिने पर्युषण आदि तपगच्छ की समाचारी करने के आग्रह से शास्त्रसंमत ५० दिने पर्युषण आदि खरतरगच्छ की समाचारी करने के लिये गुरु महाराज श्रीमोहनलालजी की आज्ञा का भंग क्यों किया? और उक्त गुरु महाराज की आज्ञा से तथा उपर्युक्त शास्त्रपाठों से संमत ५० दिने पर्युषण आदि खरतरगच्छ की समाचारी पन्यास श्रीयशोमुनिजी आदि ने अंगीकार की, इस भेद के प्रसंग से कुटिलता पूर्वक हर्षमुनि ने श्रीमोहनचरित्र में छपवाया कि "भेदपाड़े ते साधु नहीं इत्यादि" तथा गुरु के अंत समय में विहार करे तो समुद्र कांठे डूबने जैसा है, गुरुसेवा निष्फल, तीर्थयात्रादि का लाभ नहीं इत्यादि शास्त्रविरुद्ध उत्सूत्र भाव के लेख बालजीवों को भरमाने के लिये क्यों छपवाये हैं?

[उत्तर] प्रियपाठकगण ! गुरु आज्ञा लोपी हर्षमुनिजी के लिखवाये हुए उपर्युक्त लेखों का यही अभिप्राय ज्ञात होता है कि हर्षमुनिजी को अपनी प्रशंसा और दूसरों की निंदा लोकों को दिखलानी थी, इसी लिये शास्त्रज्ञानशून्यता से दूसरों की व्यर्थ निंदा के उक्त असत्य लेख शास्त्रविरुद्ध अनुचित छपवाये हैं। और श्रीमोहन उत्तरार्द्ध चरित्र के अनेक स्थानों में अपनी अनर्गल श्लाघा (प्रशंसा) लिखा कर चरित्र की पूर्णता की है। अब आगे हर्षमुनिजी आदि शास्त्रविरुद्ध उत्सूत्रभाव के निंदित लेखों से किस प्रकार

निवेदन ।

महाशय ! धर्मानुरागी सज्जनादि वृंद !

आप लोगों से सविनय निवेदन है कि जो कुछ प्रमाद वा दोष में छापने संबंधी इस ग्रंथ में त्रुटि रह गई हो, उसे सुधार के पढ़ें। क्योंकि भूल होना छद्मस्थ का सहज स्वभाव इत्यलम् ।

आपलोगों का कृपाकांक्षी, निवेदक—

बुद्धिसागरमुनिः